बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः– राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

बिहार सरकार राज्य के समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यद्यपि यह राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, परंतु राज्य के समावेशी आर्थिक विकास में द्वितीयक प्रक्षेत्र अर्थात उद्योगों का योगदान समान रूप में महत्वपूर्ण है, अतः इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती हैं। राज्य में निवेश के वातावरण में अग्रेतर सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक पहल किए गए हैं तथा 15 प्रतिशत वार्षिक औद्योगिक विकास दर लक्षित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय उत्पादकता नीति एवं 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में द्वितीयक प्रक्षेत्र के योगदान को 25 प्रतिशत से अधिक किया जाना।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 का सूत्रण किया गया है। इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य रणनीति आधारभूत संरचना पर ध्यान केन्द्रित करना, प्रगतिशील तकनीक पर विशेष बल देते हुए भविष्य में विकास के मुख्य प्रक्षेत्रों को वरीयता प्रदान करना, कौशल विकास, एक संशोधित संरचित सहायता का पैकेज एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास अर्थात निवेश के लाभों को राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रो तक पहुँचाना है। इसके अतिरिक्त इस नीति में समाज के वंचित समूहों के उत्थान एवं महिला उद्यमियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उनके लिए विशेष सहायता के पैकेज का प्रावधान किया गया है। नीति में इसके कारगर कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं उद्यमियों की शिकायतों को दूर किए जाने का सुपरिभाषित प्रावधान किया गया है। इस प्रकार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 राज्य के औद्योगिक विकास के लिए समेकित पहल है तथा इसमें बिहार आने वालें निवेशको के लाभों के लिए विस्तृत प्रावधान है।

1. परिचय

बिहार भारत के सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यो में से एक है। वर्ष 2005–06 से 2014–15 तक की अवधि में बिहार के जी0एस0डी0पी0 में वार्षिक 10.5 प्रतिशत की दर से निरंतर वृद्धि हुई है, जो कि महत्वपूर्ण भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है। बिहार मे पिछले कुछ वर्षो में आर्थिक परिवर्तन की गति एवं पैमाने में वृद्धि देखी गयी है जो सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापक घरेलु सुधार कार्यक्रम का परिणाम रहा है। इसमें सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण बात कानुन एवं व्यवस्था की मशीनरी में सुधार एवं सरकारी व्यय के साथ सार्वजनिक निवेश के सुधार में परिवर्तन रहा है। इन सभी परिवर्तनों ने राज्य में निजी निवेश एवं अधिक से अधिक उद्योग प्रतिबद्धता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान की है।

बिहार के पूर्वी और उत्तरी भारत में, कोलकात्ता और हल्दिया के बंदरगाह के रूप में, कच्चे माल के स्त्रोतो और पड़ोसी राज्यो से खनिज भंडार के बंदरगाहो के उपयोग एवं विशाल बाजार की उपलब्धता की वजह से एक अनूठा स्थान है एवं इससे राज्य को विशेष लाभ प्राप्त है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है एवं यह सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में फल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार बड़े पैमाने पर जल संसाधन में संपन्न है। जमीनी और सतह के पानी दोनो के रूप में राज्य में प्रत्येक वर्ष 1009 m.m.s औसत वर्षा होती है। राज्य की प्रमुख नदियों में गंगा मुख्य नदी है, जो हिमालय में अपने स्त्रोतो के साथ सहायक नदियो से जुडी हुई है। कुछ अन्य प्रमुख नदियो में से सरयू, गंडक, बुढ़ीगण्डक, बागमती, कमला और महानन्दा है। राज्य में प्रभावीत औद्योगिक श्रम का एक बड़ा आधार है, जो राज्य के औद्योगिक विकास एवं उद्योगो की विस्तृत श्रृंखला के रूप में राज्य को एक आदर्श स्थल बना रही है। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, विनिर्माण, स्वास्थ्य आदि राज्य मे तेजी से बढ़ते उद्योगो में से कुछ है। राज्य में कृषि उपस्कर एवं छोटे मशीन विनिर्माण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और अक्षय उर्जा आदि क्षेत्रो के विकास के लिए पहल कर योजना भी बनाई गई है।

बिहार पूरे जोश के साथ प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास पर काम कर रहा है। पर्याप्त सड़को के अभाव में कोई राज्य अपने आर्थिक विकास मे वृद्धि के बारे में कैसे सोच सकते है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा राज्य मे दूर–दराज के क्षेत्रो को पटना की राजधानी से जोड़ने के क्रम में यह संकल्प लिया है कि लोग एक स्थान से राज्य के किसी भी जगह अधिकतम समय छह घंटे मे दुरी तय कर वे राजधानी तक पहुँच सकते है। हाल के वर्षो में राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास भी किये है एवं परिणाम के रूप में सड़को और पुलो का नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकार ने "बिहार सड़क संसाधन सुरक्षा नीति, 2013" को अपनाया है ताकि बढ़ती सड़क नेटवर्क के बेहतर रख रखाव को सुनिश्चित किया जा सकें।

बिहार राज्य में राज्य राजमार्ग (स्टेट हाईवे) की कुल लंबाई 4253 किमी है (2015 तक)। इसमें से लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा डबल लेन सड़कों का है दूसरे तरफ राष्ट्रीय राज्यमार्ग का राज्य के आर्थिक विकास में सामरिक महत्व है। क्योंकि यह राज्य को पड़ोसी राज्यों से जोड़ता है। राज्य में राष्ट्रीय राज्यमार्ग की कुल लंबाई 4595 किमी है (2015 तक)। इसके नेटवर्क को और बढ़ाने के लिए तीव्र गति से प्रयास भी किए जा रहे है।

स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे जो कि बिहार के कुछ जिलों यथा–कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया एवं पटना से होकर गुजरती है। ये जिले शाखा सड़कों के माध्यम से इस हाईवे से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। जिससे राज्य के अंदर एवं दूसरे राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के बाजार एवं मांग के आधार पर उत्पादों को भेजना सुलभ हो पाता है। यह भारत के प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है। कई राज्यों से होकर गुजरने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे, जिसकी लंबाई 204 कि0 मी0 है, को और चौड़ा किया जा रहा है।

पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर भी बिहार राज्य से होकर गुजरती है एवं बिहार को पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब के साथ जोड़ती है, जो राज्य में उद्योगों के निवेश के लिए बेहतर है। इससे काफी कम परिवहन लागत के साथ कम समय में तैयार उत्पादों को बंगाल की खाड़ी में अवस्थित बंदरगाहों तक परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है।

राज्य सरकार ने उर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू किया है, जिसके तहत् वर्ष 2016–17 तक 1330 मेगावाट, वर्ष 2017–18 तक 3310 मेगावाट तथा 2021–22 तक 7270 मेगावाट बिजली की कुल उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है, जो राज्य के लिए पर्याप्त होगी। इस क्रम में उर्जा विभाग द्वारा अपनी परिकल्पना को हकीकत में बदलने के लिए बिहार राज्य उर्जा उत्पादन निगम लि0, (BSPGCL) द्वारा संयुक्त उपक्रम के तहत् देश के प्रतिष्ठित कंपनियों यथा–नेशनल थर्मल पावर कॉ0 (NTPC) एवं नेशनल हैड्रो पावर कॉ0 (NHPC) के साथ इकरारनामा किया गया है। इसके तहत् राज्य में अवस्थित बिजली क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं यथा नवीनगर स्टेज–1, बक्सर, भागलपुर एवं लखीसराय तथा बांका के विभिन्न चरणों को प्रारंभ किया जाना है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत राज्य की जरूरतो के मुताबिक सेंट्रल सेक्टर से उर्जा की आवश्यकता कम होगी एवं राज्य उर्जा की आवश्यकताओं में पूर्ण करने में आत्मनिर्भर होगा।

राज्य के औद्योगिकरण के लिए भूमि की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। नतीजतन भूमि अधिग्रहण का महत्व काफी बढ़ जाता है। उद्योगों तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में भूमि की बढ़ती मांग को पूरा किये जाने के क्रम में 1500 करोड़ रुपये के निधिकोष के माध्यम से लैंड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। जिसे बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये किया गया। पिछले कुछ वर्षो में राज्य सरकार द्वारा भूमि बैंक एवं औद्योगिक क्षेत्रों का तेजी से निर्माण सुनिश्चित करने के लिए इस मद में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को 1650 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है।

आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक वातावरण में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्यम पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कलस्टर आधारित दृष्टिकोण के तहत् चमड़ा, छोटी मशीनरी, प्लास्टिक कपड़े, जूट एवं वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा दिये जाने एवं विशेष कलस्टर एवं MSME उद्यम को स्थापित करने की प्रक्रिया की जा रही है।

बिहार राज्य में निवेश की सुविधा के लिए एवं अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कार्यप्रणाली/उद्यम को अपनाया जा रहा है जिससे राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कुछ मुलभुत सुधार के उपाय किए गये है, यथा शिकायत निवारण के लिए उद्योग संवाद पोर्टल, एकल खिड़की प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन विभिन्न श्रम कानुनो के तहत एकल एकीकृत प्रणाली, उद्योगो के जोखिम के आधार पर निरीक्षण अनुपालन प्रणाली, विभिन्न श्रम कानुनो/समकालीक संयुक्त निरीक्षण का प्रावधान।

वर्त्तमान औद्योगिक नीति के माध्यम से राज्य मे उद्योगो के लिए अनुकूल माहौल बनाने एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिकतम निवेश करने के लिए लागु किया जा रहा है जिसमें विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों में यानि खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, छोटी मशीनरी उत्पादन, आईटी, आईटीईएस और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण, वस्त्र, प्लास्टिक एवं रबर, अक्षय उर्जा, चमड़ा एवं तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य भर में उद्योगो की स्थापना के साथ राज्य के प्राकृतिक संसाधनो के महत्तम मूल्य संबर्धन एवं राजस्व पैदा करने तथा रोजगार सृजन करना है। इस नीति का मसौदा विभिन्न उद्योग संघो, उद्योगो के प्रतिनिधियों, निवेशक, विषय विशेषज्ञो के साथ गहन बातचीत एवं उनके विचार को समायोजित करने के उपरांत तैयार किया गया है। यह उम्मीद है कि इस नीति के कार्यान्वयन से राज्य का औद्योगीकरण के साथ रोजगार सृजन और समग्र विकास होगा।

2. हमारी दृष्टि, मिशन एवं रणनीति

2.1 हमारी दृष्टि

संतुलित क्षेत्रीय एवं सतत विकास की प्राप्ति हेतु राज्य के तुलनात्मक खूबियों को बढ़ाकर एवं नियोजन के अवसरो का अधिकतम लाभ उठाकर बिहार को सबसे अधिक अधिमानता वाला राज्य के रूप में स्थापित करना।

2.2 हमारा मिशन

- 15 प्रतिशत वार्षिक औद्योगिक विकास दर की प्राप्ति किया जाना।
- राष्ट्रीय उत्पादकता नीति एवं "मेक इन इंडिया" पहल के तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक प्रक्षेत्र के योगदान को 25 प्रतिशत से अधिक किया जाना।
- सभी आर्थिक प्रक्षेत्रों में कुल मिलाकर 05 लाख लोगो के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किया जाना।
- 15 हजार करोड़ रूपये का वास्तविक निवेश आकर्षित किया जाना।
- राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए उच्च स्तर का आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना।
- निवेश के लाभों को राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक समरूप कर क्षेत्रीय औद्योगिक असंतुलन को दूर किया जाना।
- समाज के उच्च प्राथमिकता वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगो, युद्ध विधवाओं, एसिड हमले के पीड़ितों तथा तीसरे लिंग के उद्यमियों को अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक लाभ प्रदान किया जाना।
- राज्य सरकार के "7 निश्चय" अन्तर्गत 1.50 करोड़ कुशल युवाओं के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उद्योगों द्वारा स्थानीय लोगों का कौशल विकास सुनिश्चित किया जाना।
- सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की प्रतिर्स्पधात्मक क्षमता को बढाना एवं "जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट" उत्पादन कार्यशैली को अपनाया जाना।

2.3 हमारी रणनीति

हम वैसे निवेशको के साथ काम करेंगे जो भविष्य में बिहार के गतिशील अर्थव्यवस्था की हमारी दृष्टि से सहमत है, जो सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने को उद्यत है। विशेषकर हमारी रणनीति निम्नप्रकारेण है:–

- वैसे निवेशको को प्रोत्साहित करना जो कृषि उत्पाद में मूल्यवृद्धि करते हैं तथा कृषको की आमदनी को खाद्य फसलों के प्रसंस्करण एवं परिरक्षण द्वारा बढ़ोतरी करते हैं, विशेषकर फलो, सब्जियों एवं फसलों को।

- हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए बड़े बाजार की तलाश कर कारीगरों के परंपरागत कौशल का उपयोग किया जाना।
- बिहार को कुशल श्रम के श्रोत के रूप में अधिमानता दिलाने हेतु कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा में निवेश किया जाना, कुशल श्रम का देश के विभिन्न हिस्सों में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अत्यधिक कमी का पूर्वानुमान हैं।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के उपक्रमो को उनके सीमित भूमि की आवश्यकता तथा प्रति इकाई पूंजी एवं उर्जा, अधिक श्रम शक्ति की क्षमता के कारणवश अधिमानता प्रदान किया जाना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र में कलस्टर विकास को प्रोत्साहित किया जाना।
- स्थानीय उत्पाद, स्थानीय कौशल एवं स्थानीय खपत आधारित उद्योगो पर जोर देना।
- कम उर्जा खपत एवं कम प्रदूषण वाले उद्योगो को अधिमान प्रदान करना।
- प्रस्तावित अमृतसर–कोलकाता–औद्योगिक कारिडोर (ए0 के0 आई0 सी0) अन्तर्गत प्रस्तावित समेकित उत्पादन कलस्टर अन्तर्गत वृहद प्रक्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहित किया जाना है। राज्य सरकार इकाईयों की स्थापना हेतु समुचित भूमि की तलाश में निवेशको को सहायता प्रदान करेगी जबकि उनसे यह अपेक्षा होगी कि इन निरूपित क्षेत्रों के बाहर इकाईयॉ अपने स्तर से भूमि प्राप्त कर सकेंगे।
- हेरिटेज पर्यटन के विकास के लिए नए निवेश को प्रोत्साहित किया जाना जिसके लिए राज्य बड़े पैमाने पर अवसर प्रदान करता है।
- नई सुविधाओं के विकास और/अथवा विद्यमान सुविधाओं के सार्वजनिक निजी भागीदारी रूप में प्रबंधन में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना।
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में आने वाले निवेशों में आपूर्ति के लिए आनुषंगिक इकाईयों का विकास करना।
- निवेशको के लिए औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना में पेश आ रही समस्याओं/कठिनाईयों को मात्र एक मंच से दूर करने के लिए उद्योग संबाद पोर्टल की स्थापना किया जाना।

2.4 नीति का दायरा

नीति निम्न शर्तो के साथ राज्य में सभी नई इकाईयों के लिए लागू होगा :–

(क) किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली इकाई जिसमे उत्पादन कार्य के परिणाम स्वरूप मूल्यवर्द्धन नहीं होता है, इस नीति अन्तर्गत विचारणीय नहीं होगा। इकाईयाँ जो मात्र व्यापारिक कार्यकलापों में संलग्न है, वे इस नीति के दायरे में नहीं आयेगी।

(ख) व्यक्तियों/फर्मो/कंपनियों द्वारा प्रवर्तित इकाईयां जो सरकार (राज्य अथवा केन्द्र) द्वारा कभी काली सूची में डाली गई हो, वे इस नीति के लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

(ग) व्यक्तियों/फर्मो/कंपनियो द्वारा प्रवर्तित इकाईयां जो पूर्व में कभी भी किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके द्वारा दिए गए ऋण के लिए डिफॉल्टर घोषित किया गया है तथा इनके विरूद्ध राज्य सरकार का कोई बकाया हो, वे इस नीति के लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होगे।

(घ) इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन उन्हीं निवेशो के लिए अनुमान्य होंगे जो राज्य में किए गए हैं।

(ड़) किसी प्राकृतिक आपदा अथवा व्यापार के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन का दावा नहीं किया जा सकता है।

(च) यह नीति विदेशी निवेश सहित निजी निवेश के लिए मान्य है, परंतु केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा अकेले अथवा निजी भागीदारी में किए गए सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के लिए अनुमान्य नहीं है।

3. हमारी प्राथमिकता के प्रक्षेत्र

बिहार में कुछ प्रक्षेत्रों यथा खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, पर्यटन, आदि में प्राकृतिक फायदे हैं और राज्य सरकार, अधिकतम रोजगार सृजन सुनिश्चित करने यथा लोगो के जीवन स्तर मे सुधार करने हेतु इन फायदो पर ध्यान केन्द्रित करना चाहेंगी। प्राथमिक प्रक्षेत्रों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण इस प्रकार है :

3.1 खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र

बुनियादी तौर पर एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारणवश बिहार में मानव उपयोग हेतु प्रसंस्कृत किये जाने वाले कच्चे सामग्रियों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने वाला बृहत कृषि एवं पशु उत्पादन आधार है। इन प्राकृतिक फायदों के बावजूद, खाद्य प्रसंस्करण का स्तर काफी निम्न है और एक टिकाउ उपभोगता बाजार प्रदान करते हुए राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण स्तर को विकसित करने की भरपूर संभावना है। आगे, नगरों और ग्रामीण बिहार में बढ़ती हुई आय तथा परिवर्तित हो रहे जीवन–यापन व्यवस्था उपभोग्ता मांग को प्रसंस्कृत खाद्य की ओर खींच रहा है। अतएव, राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक टिकाउ अवसर प्रदान करता है और इस राज्य के औद्योगिकीकरण अभियान में अग्रणी भूमिका अदा करने की संभावना प्रदान करता है। प्रदान की जानेवाली प्रमुख उत्पाद के इन प्रक्षेत्रों में हमारी कुछ रणनीतिक फायदे इस प्रकार है।

प्रमुख कृषि उत्पादें	हमारी रणनीतिक फायदें
खाद्यान्न (अनाज एवं दालें) तथा तिलहन	(क) विगत 5 वर्षो अर्थात 2010–11 से 2014 के दौरान राज्य में अनाजो का उत्पादन स्तर वार्षिक तौर पर 5.65 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2014–15 में राज्य का अनाज उत्पादन 143.21 लाख टन था जो देश में सबसे अधिक है। (ख) हमारे कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद हैः चावल : 82.41 लाख टन, गेहूँ : 35.70 लाख टन, मक्का : 24.78 लाख टन, दाल : 4.28 लाख टन तथा तेलहन : 1. 27 लाख टन[1] । (ग) बिहार में मक्का की उत्पादकता देश कि सभी राज्यों से अधिक है।
फल (आम, अमरूद, लीची तथा केला) और सब्जी आलू, बंदगोभी फूलगोभी, ओकरा)[2]	(क) सब्जियों कें उत्पादन में देश में बिहार का स्थान पहला है। (ख) राज्य में उत्पादित कुछ महत्वपूर्ण सब्जियाँ है – आलू : 63.46 लाख टन, प्याज : 12.47 लाख टन, फूलगोभी – 10.03 लाख टन, टमाटर : 10.46 लाख टन। अन्य सब्जियां जैसे बंदगोभी, भिंडी, गाजर और मटर का भी उत्पादन होता है जो वाणिज्यिक प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त हो सकते है। (ग) राज्य में उत्पादित कुछ महत्वपूर्ण फल है :– केला–15.27 लाख टन, आम– 12.72 लाख टन, अमरूद– 3.7 लाख टन एवं लिची 1.98 लाख टन। (घ) राज्य अपने लीची पैदावार हेतु भारत तथा अंतर्राष्टीय बाजारों में विख्यात है और यहाँ पल्प, जूस, पल्प स्लैब, नेक्टार, जैम, जेली इत्यादि हेतु इकाई स्थापित करने की वृहद संभावना है।
मखाना	(क) मखाना/गोरगॉन नट राज्य का एक विशेष उपज है जिसका उपयोग उच्च श्रेणी के खाद्य–पदार्थो में किया जा सकता है तथा इसका समुचित विपणन कर अच्छे दाम में बेचा जा सकता है। (ख) मखाना/गोरगॉन नट काफी पोषक एवं प्रोटीन से भरपुर खाद्य पदार्थ है। इसकी तुलना मछली/मीट में उपलब्ध प्रोटीन से की जा सकती है। चीन में कच्चे मखाना बीज पाउडर को बच्चों के भोजन का एक अनिवार्य अंग माना जाता है।

1. सभी आंकड़े वित्तीय वर्ष 2014–15 के वार्षिक उत्पादन के है।
2. सभी आंकड़े वित्तीय वर्ष 2014–15 के वार्षिक उत्पादन के है।

प्रमुख कृषि उत्पादें	हमारी रणनीतिक फायदें
पशु उत्पादो (दूध, मांस मछली, अंडे शहद)	(क) राज्य में कुल पशुधन जनसंख्या 329.38 लाख है और इसके काफी बढ़ने की उम्मीद है।[3] (ख) कुल पशुधन की आबादी का लगभग 52 प्रतिशत दुधारू पशुओ की है जिसमें गाय 122.31 लाख, बकरी 121.53 लाख और भैंस 75.67 लाख है। (ग) 79.172 लाख टन प्रतिदिन की औसत उत्पादन के साथ दूध राज्य का सबसे महत्वपूर्ण भोजन उत्पादों में से एक है और इसके प्रसंस्करण के बहुत बड़े अवसर हैं। (घ) भैंस, बकरी और मुर्गी की बड़ी आबादी राज्य में मांस प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। (ड़) राज्य में 1071000 हेक्टेयर अथवा 2677000 एकड़ जलक्षेत्र है। इसमें तालाब (95,000 हेक्टेयर) आक्सबो लेक (9,000 हेक्टेयर), रिजम्वायर्स (26,000 हेक्टेयर) एवं वेट लैण्ड (9.41 लाख हेक्टेयर) है। राज्य में नदियों की कुल लंबाई 3,200 कि0 मी0 है। राज्य की विशाल जल संपदा ताजा मछली के प्रसंस्करण की सुविधाओं/इकाईयों के लिए लाभप्रद संभावना प्रदान करती हैं। वर्ष 2014–15 में राज्य में विभिन्न जल श्रोतों से औसत मछली उत्पादन 5 लाख टन वार्षिक था। (च) बिहार देश में शहद के 4 सबसे बड़े उत्पादको में एक है और प्रतिवर्ष शहद का लगभग 6500 मे0 टन उत्पादन करता है। शहद आधुनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण घटक होता जा रहा है और पौष्टिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। कम निवेश की आवश्यकता और अधिक राजस्व क्षमता की वजह से संभावित पहली पीढ़ी के उद्यमियों के बीच इसकी पहली पसंद होने की संभावना है।

खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र :

इस नीति के तहत प्रोत्साहन राशि लेने के उद्देश्य हेतु नीचे विवरणित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्राथमिक प्रक्षेत्रों के अंतर्गत माना जायेगा।

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
खाद्यान्न (अनाज एवं दालें) तथा तिलहन प्रसंस्करण	(क) स्टार्च एवं **मवेशी** तथा/या पॉल्ट्री फीड के उत्पादन हेतु इकाई सहित, 100 टी0पी0डी0 से अधिक की स्थापित क्षमता की मक्का प्रसंस्करण की इकाईयाँ। (ख) 100 टी0पी0डी0 से अधिक की स्थापित क्षमता की अन्य अनाज प्रसंस्करण/आंटा/स्टार्च/डफ मिक्सेज, ब्रेकफास्ट फूड मैन्युफैक्चरिंग इकाई। (ग) दाल प्रसंस्करण इकाई (घ) तेलहन प्रसंस्करण हेतु आधुनिक इकाई/बिहार से स्थानीय तौर पर प्राप्त किये गए कच्चे सामग्री से निष्कर्षण यानि चावल भूसी तथा वनस्पतियों यथा सोयाबीन, सैफफ्लावर/सनफ्लावर/सरसो/मूंगफली आदि। साथ ही बोविन/भेड़/बकरी/मछली/समुद्री पशुओं आदि से निष्कर्षित वसा एवं तेलों से वनस्पति ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। खाद्य तेलों, खाद्य तेल रिफाइनिंग आदि हेतु सौल्वेंट निष्कर्षण इकाई। **नोटः–** बिना किसी सारगर्भित मूल्य वर्धन शॉर्टिंग, क्लिनिंग एवं पैकेजिंग में शुद्ध रूप से संलिप्त प्रसंस्करण इकाईयों को इस संवर्ग के अंतर्गत नहीं माना जायेगा।

फल एवं वनस्पति (एफ0 एण्ड वी0) प्रसंस्करण	(क) सभी प्रकार के फूड एण्ड बिवरेज प्रसंस्करण इकाई (आई0 क्यू0एफ0 / ब्लास्ट फ्रीजर/स्पाइरल फ्रीजर आदि का इस्तेमाल करते हुए डिहाइड्रेटेड एवं फ्रोजेन एफ एण्ड वी की मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों सहित) (ख) प्याज, मशरूम आदि जैसी वनस्पतियों का डिहाइड्रेशन एवं पाउडरिंग। (ग) लीची प्रसंस्करण की इकाई (उदाहरण के लिए लीची पल्प, जूस, पल्प स्लैब्स, जैम, जेली, बिवरेज, नेक्टार, कैन्डीज, पाउडर आदि की मैन्युफैक्चरिंग हेतु इकाईयाँ) (घ) स्थानीय प्रकार के आम का पल्प, जूस, पल्प स्लैब्स, जैम जेली, बिवरेज, नेक्टार, कैन्डीज, पाउडर आदि में प्रसंस्करण की इकाई (अन्य राज्यों या देशों से आयात की गई आम गुद्दों का इस्तेमाल करने वाली इकाईयाँ प्राथमिकता के प्रक्षेत्र के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।) (ड.) केला प्रसंस्करण की इकाई (उदाहरण के लिए केला चिप्स, पल्प, पाउडर, शिशु खाद्य, जैम जेली, केला फूल सब्जियाँ, केला तना की सब्जियाँ एवं अचार आदि) (च) मखाना प्रसंस्करण की इकाई (मखाना पॉप्स, जायकेदार तथा/या भुना गया मखाना स्नैक्स, आर0टी0सी0 खीर, बेबी फूड आदि बनाने हेतु इकाई)
दूध प्रसंस्करण तथा डेयरी उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग	(क) 50 हजार लीटर प्रति दिन से अधिक की स्थापित क्षमता वाली दूध प्रसंस्करण इकाई। (ख) पास्चराइज्ड दूध, दूध पाउडर (एसएमपी0), आईसक्रीम पाउडर, कंडेन्स्ड दूध, शिशु खाद्य, दूध क्रीम, मक्खन, मक्खन दूध, लस्सी, योगुर्ट, चीज, घी, खोआ, आईसक्रीम, कुल्फी, फ्लेवर्ड दूध तथा अन्य डेयरी उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग हेतु इकाईयाँ। (ग) अन्य राज्यों या देशों से आयात की गई दूध पाउडर से उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इकाईयाँ प्राथमिकता के प्रक्षेत्र के अंतर्गत पात्र नहीं होंगी। केवल राज्य के भीतर दूसरे इकाई द्वारा विनिर्मित दूध पाउडर से अथवा उनलोगों के द्वारा प्राप्त दूध से विनिर्मित उत्पादें इस संवर्ग के अंतर्गत रियायत हेतु पात्र हैं। **नोटः–** प्राथमिकता प्रक्षेत्र में विचार हेतु इकाईयों को इन क्षेत्रों में दूध अधिग्रहण नहीं करना होगा जहाँ कॉम्फेड द्वारा दुग्ध सहकारी संचालित है।
मधु प्रसंस्करण	प्राकृतिक मधु प्रसंस्करण इकाई
मांस, पॉल्ट्री तथा मत्स्य प्रसंस्करण	(क) मांस, पॉल्ट्री तथा मत्स्य प्रसंस्करण इकाईयाँ (उहारण के लिए फ्रेश, चिल्ड एवं फ्रोजन मछली, फिश फिलेट्स एण्ड पीसेज, फिश क्यूर्ड अथवा स्मोक्ड, मानव उपयोग हेतु योग्य फिश मील, भेड़ या बकरी जैसे घरेलु दूधारू पशुओं का फ्रेश एवं चिल्ड मांस, पॉल्ट्री मीट का मांस एवं खाने योग्य पोल्ट्री मीट के ओफल, सूखे अंडे इत्यादि।) (ख) आधुनिक बूचड़खाना तथा वध–स्थल
मसाला एवं जड़ी बूटी प्रसंस्करण	(क) मसालों के लिए आधुनिक प्रसंस्करण इकाई (उदाहरण के लिए मसालों का एक्सट्रैक्ट्स एसेंस एवं कंसेंट्रेट्स, पाउडर तथा पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आदि) (ख) फूड फ्लेवर, कलर्स, ओलियोरेजिन्स की निष्कर्षण इकाई (ग) जड़ी बूटी द्वारा निर्मित स्वास्थ्य और कल्याण के भोजन की खुराक
चाय प्रसंस्करण	चाय प्रसंस्करण की आधुनिक इकाईयाँ
अन्य खाने योग्य तैयार व्यंजन	(क) बिस्किट्स/कूकीज आदि के निर्माण करने हेतु आधुनिक इकाई। (ख) आधुनिक बेकरी इकाई (यथा ब्रेड, पैस्ट्रीज एवं केक्स निर्माण)

	(ग) आईसक्रीम उत्पादन हेतु आधुनिक इकाई (घ) चॉकलेट एवं गैर–चॉकलेट आधारित कन्फेक्शनरी उत्पादों के लिए आधुनिक इकाई। (ड.) फ्रोजेन या नन–फ्रोजेन तथा खाने हेतु तैयार (आर0टी0इ0) पैक किये गए मिल्स एण्ड स्नैक्स, पकाने हेतु तैयार (आर0टी0सी0) खाद्य, पाउडर्ड इनर्जी कन्सेंट्रेट, इंस्टैंट ड्रिंक कन्सेंट्रेट इत्यादि के उत्पादन करने हेतु इकाई।
ईख प्रसंस्करण	(क) चीनी उत्पादन। (ख) इथनॉल उत्पादन।
वेयरहाउसिंग	(क) फल पकाने वाला कक्ष। (ख) कन्ट्रोल्ड एटमोस्फियर (सी0 ए0)/मोडिफाइड एटमोस्फियर (एम0 ए0) चैम्बर्स, कोल्ड रूम्स/डीप फ्रीजर्स /प्रि–कूलिंग चैंबर्स (ग) बहुआयामी शीत भंडारण सुविधा/आधारभूत संरचना के साथ–साथ प्रि–कूलिंग चैंबर्स, राइपनिंग चैम्बर्स, सी0ए0/एम0ए0 चेम्बर्स, कोल्ड रूम, डीप फ्रीजर, बल्क चिलर्स इत्यादि, साथ हीं शीत श्रृंखला लॉजिस्टिक व्यवस्था। (घ) आधुनिक अनाज साइलो/भंडारण।
सामान्य/व्यवसाय विकास सेवाएं	(क) खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र से संबंधित शोध एवं विकास सुविधा, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला/जाँच प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र/उद्भवन केन्द्र/कौशल विकास केन्द्र, इत्यादि। (ख) खाद्य संयंत्र निर्माण (ग) प्रदीपन इकाई

नोट :–

1. इकाइयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अन्तर्गत समय–समय पर उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।
2. दूसरे राज्यों या देशो से आयातित खाद्य सामग्रियों को पैकेजिंग/रि–पैकेजिंग के उद्देश्य से स्थापित इकाइयाँ/उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत विचार नहीं किया जायेगा।
3. अगर एक इकाई/उद्यम एककृत तरीके से कैपटीव उपयोग के उद्देश्य से दो या अधिक तरह की सुविधायें स्थापित करती है, तो इन सुविधाओं को एक एकल परियोजना माना जायेगा और सुविधाओं में हुए संयुक्त व्यय को अनुदान गणना के लिए विचार किया जायेगा। प्राथमिकता अथवा अप्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत इकाईयों/ उद्यमों का वर्गीकरण मुख्य/मूल सुविधा के प्रकृति के अनुसार होगा। यथा– कोर सुविधा।
4. अगर कोई इकाई क्षमता विस्तार/सुविधा परिवर्धन इत्यादि के माध्यम से गैर प्राथमिकता क्षेत्र से प्राथमिकता क्षेत्र में विस्थापित होती है तो यह प्राथमिकता क्षेत्र के अनुसार प्रोत्साहन का उपभोग प्राथमिकता वाले भाग के हिस्से तक करेगी।
5. मनुष्यों/जानवरों के उपयोग योग्य खाद्य पदार्थ की विनिर्माण करने वाली इकाइयों जिसमें मुख्य घटक के रूप में कोई अनाज,फल एवं सब्जी अथवा कोई प्रसंस्कृत/संरक्षित वस्तु (पल्प सारकृत द्रव्य इत्यादि) नहीं हो जो अनाज/फल एवं सब्जी से बने हों उन्हें गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र में विचार किया जायेगा।
6. मुख्य खाद्य प्रसंस्करण सुविधा के उप उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु स्थापित होने वाले इकाइयों को अनुदान के लिए गैर प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र अन्तर्गत माना जायेगा अगर उप उत्पाद के प्रसंस्करण से बने अन्तिम उत्पाद मनुष्यों/जानवरों के उपभोग हेतु योग्य खाद्य पदार्थ न हो। अगर अन्तिम उत्पाद मनुष्यों/जानवरों के उपभोज्य योग्य हो तो उसे उपर्युक्त सूची के अनुसार श्रेणीबद्व किया जायेगा।

3.2 पर्यटन प्रक्षेत्र

अपनी समृद्व सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक और ऐतिहासिक स्मारको को देखते हुए बिहार में पर्यटन क्षेत्र में प्रचुर संभावनाऐं है। पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार की बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति इसके प्राचीन और वर्तमान जीवित सभ्यता, जो कि संसार के दो महान धर्मों बौद्व धर्म और जैन धर्म को जन्म दिया है। बिहार हिन्दु, बौद्व, जैन, सिख और इस्लाम की धार्मिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। बिहार में एक समृद्व सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के साथ सम्पन्न विशाल शक्तिशाली मगध साम्राज्य की शक्ति का एक आधार थी। यह नालन्दा और विक्रमशीला, प्राचीन विश्वविद्यालयों की भूमि है। जहाँ से संसार के विभिन्न देशों से विद्यार्थियों के माध्यम से सुदूर और विस्तृत क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार हुआ है। इन दो प्राचीन विश्वविद्यालयों के अवशेष, प्राचीन वस्तुऐं और कलाकृतियां बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। राज्य भर में अलग–अलग परिदृश्य और संस्कृति विरासत, प्रकृति वन्य जीवन, कल्याण एवं अन्य अद्वितीय उत्पादों की अपनी ताकत भर में विभिन्न उत्पाद के पेशकश की धनी/चित्रय वनिका है। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए राज्य द्वारा की गई मुख्य उत्पादों की पेशकश निम्नवत है–

पर्यटन प्रक्षेत्र	हमारे सामरिक लाभ
अध्यात्मिकता	बिहार में पर्यटन के लिए पारंपरिक रूप से अध्यात्मिक रूचि के स्थानों पर जाकर यात्रियों के भ्रमण के अच्छे आसार हैं। इस पहलु पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कुछ चिन्हित पर्यटन सर्किट निम्न प्रकार हैं– (a) **बुद्ध सर्किटः–** बोधगया (गया), राजगीर (नालन्दा), नालन्दा, वैशाली, लौरिया नंदनगढ़ (पूर्वी चम्पारण), लौरिया अरेराज (पूर्वी चम्पारण), केशरिया (पूर्वी चम्पारण), विक्रमशीला (भागलपुर), जहानाबाद (b) **सूफी सर्किटः–** मनेरशरीफ (पटना), खानकाह मुजीबिया (पटना), मित्तन घाट (पटना), हाजीपुर करबला (वैशाली), हसनपुर (नालन्दा), बीबी कमाल साहिब (जहानाबाद), बड़ी दरगाह (नालन्दा), छोटी दरगाह (नालन्दा) (c) **जैन सर्किटः–** वैशाली, राजगीर (नालन्दा), पावापुरी (नालन्दा), नाथनगर (भागलपुर), मन्दार हिल (बाँका), चम्पानगर (भागलपुर), कुन्दलग्राम (नालन्दा), समोसारण (नालन्दा) एवं लछौर (जमुई) (d) **रामायण सर्किटः–** बाल्मिकीनगर (प0 चम्पारण), प्रेतशीला (गया), अहिल्या स्थान (दरभंगा), सीतामढ़ी, काको (जहानाबाद), सीताकुण्ड (सीतामढ़ी), सिंहेश्वर (सहरसा), रामशीला (गया), बक्सर, गिद्धेश्वर (जमुई), (e) **शक्ति सर्किटः–** मुण्डेश्वरी स्थान (कैमूर), चण्डी स्थान (मुंगेर), उग्रतारा स्थान (महिषी, सहरसा), आमि (सारण), थावे (गोपालगंज), ताराचण्डी स्थान (रोहतास), बखोरापुर (भोजपुर), श्यामाकली (दरभंगा), भगवती स्थान (नयानगर, मधेपुरा), बड़ी पटनदेवी (पटना), छोटी पटनदेवी (पटना), मतस्यगंधा रक्तकाली टेम्पल (सहरसा), उच्चैठ (मधुबनी) (f) **सिख सर्किटः–** पटना साहिब (पटना सिटी, पटना), बाललीला साहब (पटना), गुरू तेग बहादुर गुरूद्वारा (गायघाट, पटना), गुरूनानक कुण्ड (राजगीर, नालंदा), आरा, कटिहार, गया एवं सासाराम, भागलपुर, गुरू का बाग (पटना सिटी, पटना), गुरूद्वारा पक्की संगत (मुंगेर), गुरूद्वारा हंदी साहेब (दानापुर, पटना) (g) **गाँधी सर्किटः–** मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण), बेतिया (पश्चिमी चम्पारण), भितिहरवा आश्रम (पश्चिमी चम्पारण), वृन्दावन (पश्चिमी चम्पारण), सदाकत आश्रम (पटना), गाँधी संग्रहालय (पटना) (h) **शिव सर्किट.–** गुप्ताधाम (कैमुर), बैजूधाम (गया), कोटेश्वर धाम (गया), सिंधेश्वर धाम (मधेपुरा), कुशेश्वर स्थान (दरभंगा), सिंहेश्वर स्थान (जहानाबाद), अजगैबीनाथ (सुल्तानगंज, भागलपुर), अशोक धाम (लखीसराय), गरीबनाथ (मुजफ्फरपुर), महेन्द्रनाथ (सारण), ब्रम्हेश्वरनाथ (बक्सर) (i) **मण्डार एवं अंग सर्किट.–** मुंगेर, भागलपुर एवं बाँका (j) **कांवरिया रूट.–** सुल्तानगंज (भागलपुर) से बाँका
संस्कृति और विरासत	• बिहार में विस्तृत संरक्षित स्मारकों की सरणी है । विश्व विरासत स्थल और अनेक अन्य स्थल जैसे नालन्दा के भग्नावशेष एवं विक्रमशीला (संसार के प्राचीनतम विश्वविद्यालय) जो विश्व विरासत स्थलों की क्षगता रखते है। • संरचनाओं की मौलिकता को बनाये रखते हुए ऐतिहासिक इमारतो को परिवर्तित इमारतो के साथ विशेष विरासत जोन के रूप में विकसित किया जा सकता है। • हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आर्किलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया और दूसरे राज्य सरकारों के समन्वय से संग्रहालयों का उन्नयन और विकास, नव उद्घाटित बिहार संग्रहालय एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। • बिहार के हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के उद्देश्य से शिल्पग्राम(क्राफ्ट भिलेज) और हस्तशिल्प बाजार पर्यटक स्थलों के नजदीक प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ग्रामीण / गाँव	ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के सामाजिक, आर्थिक लाभ को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कला तथा शिल्प के चारों ओर ग्रामीण पर्यटन को विकसित करना एवं बढ़ावा देना। उदाहरण स्वरूप टेहटा (जहानाबाद), नेपुरा (नालंदा), रंती एवं जितवरपुर (मधुबनी), पत्थरकट्टी (गया), नाथनगर (भागलपुर) इत्यादि कार्यरत गांव ग्रामीण पर्यटन के विकास के रूप में लक्षित किया जा सकता है।
कल्याण	योगा और राजगीर तथा मुँगेर के सल्फर जल गर्म जल के झरनों को एक्वाथेरापी आधारित कल्याण पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह बिहार का अधिकतम अनोखा पर्यटन संभावना हो सकता है। यह बिहार की सबसे अनोखी पर्यटन मानसिक एवं आध्यात्मिक शारीरिक हर आयाम से समग्र चिकित्सा और व्यक्ति के कायाकल्प की पेशकश उत्पाद हो सकती है।
पारिस्थितिकी और वन्य जीवन	संभावना योग्य पर्यटन स्थल प्रस्तावित करने हेतु वन्यजीव अभ्यारण्य को एकीकृत कर परिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चिन्हित पर्यटन स्थलों में से कुछ है – राजगीर (नालंदा), भीमबांध अभ्यारण्य (मुंगेर), कैमूर अभ्यारण्य (कैमूर), गौतमबुद्ध अभ्यारण्य (गया), नकटीधाम (जमुई), गोगाविल अभ्यारण्य (भागलपुर), कांवर झील (बेगुसराय), घोड़ाकटोरा झील (नालंदा), काकोलत झरना (नवादा), तेलहार झरना (रोहतास), गैन्गेटिक डाल्फिन अभ्यारण्य (भागलपुर) एवं वाल्मिकी नेशनल पार्क (पश्चिमी चम्पारण)
गंगा आधारित	• पटना ,भागलपुर इत्यादि के किनारे ऐतिहासिक स्थलो को जल मार्ग के सहारे विकसित करने के लिए गंगा एक अद्वितीय पर्यटक उत्पाद हो सकता है। • डोल्फिन को देखना राज्य के लिए एक दूसरा अद्वितीय पर्यटक उत्पाद है जिसे सुदृढ़ किया जा सकता है।
साहसिक	विभिन्न प्रकार के जलीय खेल जैसे रीवर राफ्टिंग, पारासेलिंग इत्यादि को अधिक आर्थिक अवसर के रूप में विकसित किया जा सकता है।
मेला एवं महोत्सव	बिहार के पास अद्वितीय घटनाओं-- मेला और महोत्सव है, जैसे सोनपुर मेला, छठ पर्व, सौराठ सभा, राजगीर महोत्सव और बौद्व महोत्सव समुचित सुविधा के विकास के उपरांत घरेलू के साथ–साथ अन्तराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं।
सिनेमा	बिहार के पर्यटन स्थलों पर फिल्म सूटिंग को सिंगल विन्डो क्लियरेंस के माध्यम से आवश्यक प्रोत्साहन के साथ प्रासंगिक सरकारी अधिसूचना के तहत बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
व्यंजन आधारित	* राज्य के अमीर पाक विरासत को प्रर्दशित करने के लिए बिहार के व्यंजन पाक को बढ़ावा दिया जा सकता है। * फूड फेस्टिवल के आयोजन के माध्यम से राज्य की अद्वितीय व्यंजन जैसे– खाजा, लाई, बेलग्रामी, तिलकुट, लिट्टी–चोखा, सत्तु और मखाना के उत्पाद आर्थिक अवसर उत्पन्न करने की संभावना रखते है।

वर्त्तमान में ये चिन्हित उत्पाद एवं सर्किट विभिन्न प्रकार के आधारभूत संरचना एवं सेवा सम्बन्धित निवेश केलिए अछूते पड़े हैं। इन चिन्हित सर्किट के अतिरिक्त राज्य में बहुत से भौगोलिक क्षेत्र जिन्हें पर्यटन के दृष्टिकोण से भविष्य में विकसित किया जा सकता है। पर्यटन उद्योग के विभिन्न प्रक्षेत्रों में वर्त्तमान एवं संभावित निवेश संभावना तथा भविष्य में अवसर एवं बहुत संख्या में रोजगार के अवसर को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अपने निवेश प्रोत्साहन नीति में इस क्षेत्र के विकास एवं बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से उसे थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में विचार किया गया है। इसलिए नीति में इस प्रक्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहित करने के लिए प्रबन्ध किये गये है।

पर्यटन प्रक्षेत्र के प्राथमिकता क्षेत्र

पर्यटन प्रक्षेत्र के निवेश प्रोत्साहन हेतु प्राथमिकता क्षेत्र निम्नवत है–

क्षेत्र	निवेश के अवसर
परिवहन	* पर्यटन स्थल पर टैक्सी परिचालन। * कैब परिचालन / पर्यटन स्थल पर रेडियो टैक्सी * टूरिस्ट सर्किट पर लक्जरी कार एवं कोच बस का परिचालन * टूरिस्ट सर्किट पर एयर टैक्सी एवं हेलीकॉपटर सेवा * विशेष पर्यटन ट्रेन,नौका एवं स्टीमर इत्यादि।

आवासन	* होटल, मोटल, रिसोर्ट,गेस्ट हाउस, होम स्टे इत्यादि (चिन्हित पर्यटन स्थल से 10. कि0मी0 क्षेत्र के अन्तर्गत)। * सराय/ एकत्रित होने के लिए सुविधा/टेन्टेड आवासन हेरिटेज होम्स इत्यादि
परिभ्रमण तथा यात्रा	पर्यटक स्थल पर ट्रेभल एजेन्सीज,टूर ऑपरेटर्स,टूरिस्ट टैक्सी इत्यादि।
एम0आई0सी0ई0 सुविधा	पर्यटक स्थल पर मिटिंग हॉल, सभा स्थल,इभेन्ट आयोजक इत्यादि।
मानव संसाधन संस्थान	होटल प्रबन्धन संस्थान, फूड क्राफ्ट संस्थान, ट्रेभेल एण्ड ट्रेड संस्थान, मानव प्रशिक्षण संस्थान, टूरिस्ट गाईड, प्रशिक्षण केन्द्र, पर्यटन प्रक्षेत्र के शिक्षा एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रबन्धन संस्थान।
यादगार वस्तुओं की दुकान	पर्यटक स्थल पर हस्तशिल्प दुकान,यादगार वस्तुओं की दुकान, संजातिय बूटिक, परम्परागत आभूषण दूकान इत्यादि।
राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं राज्य राजमार्गो के किनारे सुविधाऐं	पर्यटक स्थल पर सड़क किनारे सामान्य सुविधा केन्द्र, रेस्तराँ, जलपान केन्द्र, ढावा पे एण्ड यूज शौचालय, उपयोगी वस्त्रों की दुकाने, वाहन पड़ाव स्थल और राज्य में निर्मित हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद की दुकानें।
कल्याण केन्द्र	पर्यटक स्थल पर आयुर्वेद केन्द्र, कल्याण स्पा, उपचार केन्द्र, योगा विश्वविद्यालय इत्यादि।
नदी आकर्षण	कूज,फ्लोटिंग रेस्तराँ,फ्लोटिंग कॉटेज,जलीय क्रीड़ा, रीभर राफ्टिंग,पैरा सेलिंग, मनोरंजन की सुविधा जैसे मछली पकड़ना/डोल्फिन दर्शन इत्यादि।
मनोरंजन	पर्यटन स्थल पर मनो विनोद पार्क, वाटर पार्क, प्रकरण पार्क, शिल्पग्राम, रज्जू मार्ग, विज्ञान केन्द्र, संग्रहालय, तारामंडल इत्यादि।
सिनेमा	फिल्मसिटी

नोट – 1. इस नीति अन्तर्गत पर्यटक स्थल से तात्पर्य है वैसे स्थान (जिला या प्रखण्ड या गाँव) जैसा कि उपर्युक्त सारणी में उल्लेखित है, जो विभिन्न "पर्यटन खण्ड" एवं "हमारे सामरिक लाभ" की सूची में हों के राजधानी क्षेत्र में हो उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र के लाभ से अलग रखा जायेगा।

2. इकाईयों /उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार समय–समय पर प्राथमिकता क्षेत्र की सूची को उपयुक्त ढ़ंग से संशोधित कर सकती है।

3.3 लघु यंत्र विनिर्माण प्रक्षेत्र

बिहार की अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यद्यपि कृषि की उच्च लागत और फसलो की उत्पादकता यानि कृषि लागत एवं उत्पादन के बीच के सम्बन्ध देश के एवं अन्य राज्यों/विश्व औसत की तुलना में एक सतत समस्या रही है। सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने,साथ–साथ उच्च उपज देने वाली बीज का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग, उर्वरक एवं खेती के बेहतर तकनीक का उपयोग, आधुनिक कृषि संयंत्र कृषि उत्पादन की उत्पादकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार सर्वोत्तम स्तर के यांत्रिकीकरण के लिए बिहार में कम लागत पर कृषि का माहौल बनाना अनिवार्य है।

हाल में बिहार के खेतों में आधुनिक कृषि औजार का उपयोग काफी बढ़ा है। बिहार के कृषि रोड मैप के तहत कृषि यांत्रिकीकरण एक अभिन्न हिस्सा है। राज्य सरकार पावर टीलर्स, ट्रेक्टर, स्पेयर्स, ओसावन मशीन,पावर वीडर, पावर थ्रेसर पर केन्द्र संपोषित योजनान्तर्गत प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है। जीरो टीलेज यंत्रों जो छोटे और सीमांत किसानों के भूमि जोत लिए अधिक उपयुक्त है, उसे ध्यान दिया जाना है। आसानी से प्रोत्साहन उपलब्ध होना, किसानों का, विकासात्मक दृष्टिकोण, आधुनिक उपकरणों का उपयोग राज्य

में सामान्य सा हो रहा है। विद्युतीकरण में हुई वृद्वि के फलस्वरूप विद्युत आधारित कृषि यंत्र,पम्प के उपयोग में वृद्वि हुई है। राज्य में कृषि यंत्र का बाजार उच्च विकास को दर्शाता है जिसमें भविष्य में भी अधिक वृद्धि की संभावना है। सदा बढ़ते हुए घरेलू उपयोग बाजार और राज्य में इस क्षेत्र में अबतक नगण्य निवेश को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में बिहार सरकार द्वारा कृषि से जुड़े लघु संयंत्र विनिर्माण को प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है।

लघु संयत्र विर्निर्माण क्षेत्र के प्राथमिकता क्षेत्र

लघु संयत्र विनिर्माण के मूल्य संवर्धन हेतु निवेश के लिए प्राथमिकता क्षेत्र निम्नवत हैः–

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
भूमि/बीज शैया की तैयारी	ट्रैक्टर्स, पावर टीलर्स, लेवलर्स–हल, हैरो, रोटेवेटर, कल्टीभेटर, रीजर, डोजंर, स्क्रेपर्स।
बीजारोपण/पौधारोपण/बुआई	ड्रील, सीडर, प्लान्टर, डीबलर, ट्रांस प्लांटर, सीड कम फर्टीलाईजर ड्रील्स, जीरो टीलेज मशीन।
स्प्रेयिंग और डस्टिंग उपकरण	वीडर्स, कोनोवीडर्स, टीलर्स, स्प्रेयर्स, डस्टर्स , मिस्ट ब्लोअर्स।
फसल कटाई	हार्वेस्टर/कम्बाइन हार्वेस्टर, थ्रेसर, पाटेटो डीगर्स, रीपर, सेलर सिक्ल/स्ट्रौरीपर्स
पोस्ट हार्वेष्ट उपकरण	बीज निष्कर्षक/डीहस्कर/हॉलर/डी हॉलर, क्लीनर, ग्रेडर, ड्रायर वीनोअर्स, ट्रेलर्स, ग्रेन बीन्स।
सिंचाई	डीजल पम्प, विद्युत पम्पसेट, सोलर पम्पसेट, स्प्रिंकलर्स, ड्रीप इरीगेशन, उपकरण, एच.डी.पी.ई. सिंचाई पाईप इत्यादि।
लघु संयंत्र और पार्ट पूर्जे	ऑटोमोबाईल तथा ऑटोमोबाइल पार्ट पूर्जो की अनुषंगी इकाई, डीजल एवं विद्युत मोटर संयंत्रों की अनुषंगी इकाई, साईकिल निर्माण।
सामान्य /व्यवसाय विकास सेवाएं	अनुसंधान एवं विकास सुविधा/कोटि नियंत्रण प्रयोगशाला/जाँच प्रयोगशाला, डीजाइन स्टूडियो/प्रोटोटाइप फैसिलिटी, प्रशिक्षण केन्द्र/इनक्युवेशन सेन्टर/स्कील डेवलॉपमेंट सेन्टर

नोट

1. इकाइयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार समय–समय पर प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।
2. पार्ट/पूर्जा निर्माण करने वाली इकाई जिसका सीधा उपयोग अन्य लघु सयंत्र बनाने वाली इकाइयाँ में सीधे तौर पर होती है वैसी इकाइयों को भी प्राथमिकता क्षेत्र में विचार किया जायेगा।

3.4 सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाऐं तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिकी हार्डवेयर विर्निर्माण प्रक्षेत्र

ग्लोबली सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा उद्योग हार्डवेयर क्षेत्र सहित संसार में सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली उद्योग है। इसे वर्ष 2020 तक लगभग 2.4 ट्रिलीयन यू0एस0डी0 तक पहुँचने की उम्मीद है। केवल भारतीय बाजारों में वर्ष 2020 तक इसकी माँग 400 विलीयन यू0एस0डी0 से अधिक पहुँचने की सम्भावना है। सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का महत्व केवल अपने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी उद्योगों का अभिन्न अंग हो गया है। यह रोजमर्रा के जीवन में सभी क्षेत्रों में सार्थक पैठ रखता है। अतः यह स्थापित हो गया है कि सूचना प्रौद्योगिक/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें के क्षेत्र में वृद्वि कृषि, शिक्षा, चिकित्सा सेवा, ऊर्जा, दूरसंचार, ग्रामीण विकास/पर्यटन,टेक्सटाइल क्षेत्र में भी वृद्वि को प्रोत्साहित करेगा । यह प्रक्षेत्र अभी भी उपर उठने की स्थिति में है और बांछित दिशा में बढ़ने की स्थिति में है। यह अनेक उद्यमों तथा स्टार्ट अप के लिए असीम संभावना रखता है। राज्य में शिक्षित युवा, सस्ते

कामगार की उपलब्धता इस क्षेत्र में निवेश के लिए स्पष्ट रूप से लाभप्रद है। राज्य सरकार द्वारा भी बिहटा (पटना) तथा राजगीर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु अधिसूचित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिकी हार्डवेयर विर्निमाण प्रक्षेत्र के प्राथमिकता क्षेत्र

राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्षेत्र में चिन्हित निवेश के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र निम्नवत हैः–

क्षेत्र	निवेश के अवसर
सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें	* सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद, सॉफ्टवेयर तथा सेवायें। * सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर तथा सेवाएँ। * सूचना प्रौद्योगिकी, आधारित सेवायें, बैंक ऑफिस, ऑपरेशन/ बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग(बीपी0ओ0)/नॉलेज प्रोसेस आउट सोर्सिंग(के0पी0ओ0), कॉल सेन्टर, डिजीटल कंटेन्ट डेवलॉपमेंट एनीमेशन इत्यादि।
इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर विनिर्माण	* कम्प्युटर्स * कम्प्यूटर बाह्य तथा अन्य ऑफिस उपकरण * सर्वर और स्टोरेज डिवाइस * नेट वर्किंग * ऑटोमोटीव इलेक्ट्रोनिक्स * मेडिकल इलेक्ट्रोनिक्स * इडस्ट्रीयल इलेक्ट्रोनिक्सं
अन्य इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण	* मोबाईल, डी0टी0एच0 टेलीवीजन, रेडियो एवं कंजूमर इलेक्ट्रोनिक्स
विद्युत उपकरण	* मोटर्स, पम्प, फैन उपभोक्ता वस्तुऐं यू0पी0एस0 इत्यादि

नोटः– इकाइयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार समय–समय पर प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।

3.5 टेक्सटाइल प्रक्षेत्र

टेक्सटाइल प्रक्षेत्र जी0डी0पी0 में महत्वपूर्ण योगदान, विनिर्माण आउट–पुट, रोजगार सृजन तथा निर्यात आय के सहारे भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका अदा करता है। इस प्रक्षेत्र का योगदान औद्योगिक उत्पादन में 14% भारतीय जी0डी0पी0 में 4% तथा देश के निर्यात आय में 13% है। टेक्सटाइल प्रक्षेत्र भारत वर्ष में रोजगार सृजन का सबसे बडे श्रोतों में से एक है। यह सीधे तौर पर 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।

बिहार में घरेलू वस्त्र उद्योग और दूसरे मूल्य संवर्धन क्रिया–कलाप के लिए प्रचुर सम्भावनायें है। बिहार में वस्त्र उद्योग में सिल्क एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। सिल्क उत्पादन में बिहार प्रसिद्व रहा है।

बिहार का भागलपुर जिला सिल्क धागों के विनिर्माण का केन्द्र रहा है। भागलपुर का तसर सिल्क बिहार का एक विशिष्ट उत्पाद है, जिसमें लाभकारी मूल्य प्रदायता की सम्भावना है। वर्ष 2014–15 में बिहार में लगभग 60 टन सिल्क का उत्पादन हुआ है। राज्य में जूट दूसरा फाइबर उत्पाद है। वर्ष 2014–15 में बिहार में लगभग 1420 हजार टन जूट का उत्पादन हुआ है। निबन्धित एस0पी0भी0 सर्वश्री पुनरासर जूट पार्क लि0 के माध्यम से रू0 42.36 करोड़ की निवेश से मरंगा पूर्णिया में एक जूट पार्क की स्थापना की जा रही है। पी0पी0पी0 मोड में राज्य सरकार द्वारा 44.30 एकड़ भूमि अंशदान के रूप में तथा रू0 2.00 (दो) करोड़ अनुदान स्वरूप दिया गया है। इस जूट पार्क में वर्त्तमान में दो इकाई सर्वश्री तिरूपति कोमोडिटीज प्रा0लि0 तथा सर्वश्री पुनरासर जूट

पार्क प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है और कार्यरत है। वे जूट यार्न जूट ट्वाइन, जूट के कपड़े और अन्य जूट उत्पाद का उत्पादन कर रहे है। बिहार में 14000 पावरलूम है, जो मुख्य रूप से भागलपुर,गया और बांका जिले में अवस्थित है। उनके मुख्य उत्पाद सूती चादर ,बेड सीट, फर्नीशिंग क्लौथ इत्यादि है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण केन्द्र नाथनगर, भागलपुर में है, जहाँ प्रत्येक वर्ष 120 पावर लूम बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वस्त्र उद्योग एक उच्च श्रम घनिष्ट उद्योग है। बिहार में करीब एक लाख बुनकर है जिनकी जीविका का साधन धागों एवं वस्त्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। बुनकर समुदाय को पाया जाना वस्त्र उद्योग के लिए कुशल और अर्द्धकुशल कारीगर की उपलब्धता के रूप में एक महत्वपूर्ण सम्पदा है। सतत जूड़े बुनकर समुदाय के अतिरिक्त बड़ी संख्या में युवा भी (विशेषकर युवतियाँ) इस प्रकार की उत्पादक रोजगार के अवसर के प्रतीक्षा में उपलब्ध हैं। जैसा कि वस्त्र निर्माण उद्योग उन्हें सिलाई,कटाई और अन्य दूसरे तरह के टेलरिंग कार्य का अवसर प्रदान करते है।

टेक्सटाइल प्रक्षेत्र के प्राथमिकता क्षेत्र

राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्षेत्र में निवेश के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का निर्धारण निम्नवत किया गया है–

क्षेत्र	निवेश के अवसर
रेशा उत्पादन/स्पिनिंग/बुनाई/निटिंग/प्रसंस्करण	(a) सूती/जूट/सिल्क/केला एवं अन्य प्राकृतिक रेशा उत्पादन (b) मानव निर्मित धागों एवं फिलामेंट का उत्पादन (c) यार्न स्पिनिंग (d) पावरलूम एवं बुनाई (e) यार्न एवं कपड़ा प्रसंस्करण
पोशाक एवं घरेलू टेक्सटाईल का उत्पादन	(a) बुने हुए पोशाक का निर्माण (b) होजियरी आइटम का निर्माण (c) साड़ी (d) दरी एवं अन्य घरेलू टेक्सटाईल
टेकनीकल टेक्सटाईल का निर्माण	**निम्नांकित कोटि में से कोई आइटम का निर्माण** (a) एग्रोटेक(कृषि ,उद्यान एवं वानिकी इत्यादि) (b) बिल्डटेक (भवन एवं निर्माण इत्यादि) (c) क्लोथटेक(जूते एवं वस्त्र के तकनीकी वस्तुऐं इत्यादि) (d) जियोटेक(जियो टेक्सटाइल एवं सिविल इन्जीनियरिंग इत्यादि) (e) होमटेक(कम्पोनेन्ट ऑफ फर्नीचर, हाउस होल्ड टेक्सटाईल तथा फ्लोर कोभरिंग इत्यादि) (f) इन्डटेक(फिल्ट्रेशन, क्लिनिंग तथा अन्य औद्योगिक उपयोग इत्यादि) (g) मेडीटेक(हाइजिन तथा मेडिकल इत्यादि) (h) मोबाईलटेक(आटोमोबाईल, सिपिंग, रेलवे तथा एरो स्पेस इत्यादि) (i) औयकोटेक(वातावरण सुरक्षा इत्यादि) (j) पैकटेक(पैकेजिंग इत्यादि) (k) प्रोटेक(व्यक्तिगत तथा सम्पति सुरक्षा इत्यादि) (l) स्पोर्टटेक(स्पोर्ट एण्ड लीजर इत्यादि)
पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ हस्तकरघा तथा खादी टेक्सटाईल प्रोडक्ट	हस्तकरघा एवं खादी के उत्पादों हेतु पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा

नोटः– इकाइयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत समय–समय पर उपयुक्त तरीके सें संशोधन कर सकती है।

3.6 प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र

प्लास्टिक एवं रबर एक बहु उपयोगी उत्पाद है, जिसका उपयोग सभी प्रकार के दूसरे उत्पाद के पैकेजिंग, हॉस्पीटलों में जीवन रक्षक उपकरणों के पैकेजिंग में किया जाता है। त्वरित वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्त्तन तथा बढ़ते हुए उपभोक्ता के कारण अत्यधिक बदलाव आया है तथा घरेलू तौर पर प्लास्टिक उद्योग को बढ़ने के लिए प्रचुर अवसर मिला है। बिहार की अधिकांश आबादी कृषि कार्य में लगी है। यद्यपि भूमि काफी उपजाऊ है, फिर भी किसान अत्यधिक रूप से मानसून पर निर्भर रहने के कारण कम उत्पादकता और लागत पर कम आय की समस्या से ग्रसित रहते है। प्लास्टिक उद्योग उनके लिए उत्पादकता में सुधार तथा मानसून पर निर्भरता को कम करने का उपाय दिया है। विद्युत आपूर्त्ति में बढ़ोतरी से विद्युत पम्प तथा सिंचाई प्रणाली का उपयोग बढ़ा है। इन विद्युत जल पम्पों के लिए संवितरण पाइप के कारण प्लास्टिक पाईप का मांगबढ़ा है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक उद्योग से बहुत से लाभ जैसे उत्पादकता में वृद्वि, पानी की हानि में कमी, मिट्टी के कम संसर्ग के कारण साफ सुथरे उत्पाद मिले हैं। औद्योगिक आकलन के अनुसार 35–40% भारतमें उत्पादित खाद्य उत्पाद आधारभूत संरचना में कमी तथा खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता में कमी के कारण बर्बाद होते है। प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग में होता है जिससे खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता, जीवन काल में सुरक्षा होती है। यह प्रक्षेत्र प्लास्टिक की मांग में वृद्वि के कारण अग्रणी वृद्वि के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक घरों को जल आपूर्त्ति से जोड़ने से सम्बन्धी राज्य सरकार के कार्यक्रम में जलापूर्त्ति के वितरण हेतु प्लास्टिक पाईप की आवश्यकता होगी । इस प्रकार राज्य में प्लास्टिक एवं रबर उद्योग के विकास की प्रचुर संभावना है।

प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र के प्राथमिकता के क्षेत्र

राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्षेत्र में निवेश हेतु प्राथमिकता के क्षेत्र निम्नवत चिन्हित किये गये है:–

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
सिंचाई हेतु उत्पाद	आई0एस0आई0 मानक के पी0भी0सी0 पाईप का निर्माण, निकास पाईप, ड्रीपर्स इमीटर्स, भाल्व ,फीटिंग नोजल, यूभी फिल्म, पौधों की सुरक्षा हेतु जाल, केट्स, नली इत्यादि
पैकेंजिंग तथा खाद्य पदार्थ के भण्डारण हेतु उत्पाद	पैकेजिंग/खाद्य पदार्थ के लिए टेट्रा पैक, कन्टेनर्स, बैग इत्यादि
जलआपूर्त्ति हेतु उत्पाद	आई0एस0आई0 मानक पी0भी0सी0/सी0पी0भी0सी0 पाईप निर्माण
विद्युत फीटिंग	पी0भी0सी0 पाइप एवं इलेक्ट्रिकल फीटिंग
ऑटोमोबाइल प्रोडक्टस	ऑटोमोबाइल के प्लास्टिक के पार्ट पूर्जे
चिकित्सा आपूर्त्ति	डिसपोजेबुल सिरिंज,ग्लोब्स ब्लड संग्रहण हेतु पाउच कैथैटर/पाइप इत्यादि। चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग।
भवन निर्माण	भवन निर्माण के लिए प्लास्टिक एवं रबर के सामान।
स्पोर्टस एवं अवकाश	स्पोर्टस एवं अवकाश के लिए रबर एवं प्लास्टिक विनिर्माण
प्लास्टिक टेस्टिंग	प्लास्टिक टेस्टिंग प्रयोगशाला आइ.एस.ओ./आइ.इ.सी. 17025 मानक द्वारा प्रमाणित।

नोट– इकाइयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत समय–समय पर उपयुक्त तरीके सें संशोधन कर सकती है।

3.7 अक्षय ऊर्जा प्रक्षेत्र

बिहार जिसकी विद्युत प्रक्षेत्र में शिखर घाटा 669 मेगावाट है, जो अब तक मुख्य रूप से केन्द्रीय जेनेरेशन स्टेशनों पर निर्भर है। वर्त्तमान में राज्य मुख्यतः विद्युत जेनेरेशन के लिए परम्परागत ऊर्जा श्रोत पर निर्भर है। विद्युत की कमी जो भविष्य के विकास/औद्योगिक विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 203 किलोवाट आवर है जो राष्ट्रीय औसत से अभी भी कम है और भविष्य में मांग और भी बढ़ेगी। राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास को देखते हुए विद्युत के महत्व को महसूस करती है और इस खाई को कम करने के लिए बड़े पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करने हेतु कदम उठाये गये हैं, जो मुख्य रूप से परम्परागत श्रोत पर निर्भर है। अभी वे स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं। ये बड़े पावर प्रोजेक्ट को चालू होने में लम्बा सगर्भता समय है, जबकि मांग लगातार बढेगा जिससे राज्य में आवश्यकता पूर्त्ति हेतु अनोखा अवसर नवीनीकरण ऊर्जा के प्रमापीय प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रदान करेगा । बिहार में ग्रामीण ऊर्जा की संभावना 12.559 गीगावाट (सोलर 11.2 गीगावाट, बायोमास गैसीफायर/कोजेनेरेशन 619 मेगावाट, बगासे कोजेनेरेशन 300 मेगवाट, विन्डपावर 144 मेगावाट, अनुपयोगी वस्तु से ऊर्जा 73 मेगावाट इत्यादि) की सम्भावना है जो अभी भी बढ़ने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त सोलर ऑफ ग्रीड उपयोग के लिए भी बहुत बड़ी सम्भावना है जैसे एस0पी0भी0 पम्प, सोलर वाटर हीटर, सोलर स्ट्रीट लाइट इत्यादि । यह अक्षय ऊर्जा मोडूलर प्रोडक्ट उत्पादन के लिए आरई प्रोजेक्ट के लिए असीम संभावना दर्शाती है।

अक्षय ऊर्जा प्रक्षेत्र के प्राथमिकता के क्षेत्र

निम्न प्रकार की सुविधायें/इकाइयों प्राथमिकता क्षेत्र में विचार किये जायेंगे।

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
सोलर पावर	सोलर–फोटोभोल्टाईज और सोलर थर्मल पावर जेनेरेशन सोलर हाइब्रीड सिस्टम और घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में सोलर का उपयोग।
बायोमास	बायोमास और बायोगैस प्रोजेक्ट, बायोमास हाईब्रीड सिस्टम और घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में बायोमास का उपयोग।
हाइडेल पावर	छोटे हाइड्रो प्रोजेक्टस (25 मेगावाट तक)
अन्य	सुगर एवं अन्य उद्योगों में कोजेनेरेशन वेस्ट आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना नगरपालिका और औद्योगिक वेस्ट सहित/विन्ड पावर परियोजना। = ग्रामीण ऊर्जा मोडूलर प्रोडक्ट विर्निर्माण।

नोटः– इकाइयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत समय–समय पर उपयुक्त तरीके सें संशोधन कर सकती है।

3.8 हेल्थकेयर प्रक्षेत्र

बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाला भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य तथा जनसंख्या संकेतांक जैसे शिशु मृत्यु दर (आई0एम0आर) 42, मातृ मृत्यु दर(एम0एम0आर0) 219 कुल प्रजनन दर (टी0एफ0आर0) 3.5 इत्यादि जो राष्ट्रीय स्तर से काफी अधिक है और यह राज्य के निम्न स्वास्थ्य स्तर को दर्शाता है। लोक स्वास्थ्य सुविधा के साधन पर पहले से ही अत्याधिक बोझ है जो आधारभूत संरचना और आवयश्क स्वास्थ्य आवश्यकताओं यथा मानव संसाधन,उपकरण, दवाईयाँ और अन्य उपभोग्य वस्तुओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में है और इस प्रकार वे वर्त्तमान में अकेले पूरे जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं।

इस प्रकार से सुविधायें समुचित नहीं है जो वर्त्तमान समय में पूरी जनसंख्या को हेल्थ केयर की आवश्यकता को पूरी कर सके। हेल्थ केयर के समीक्षोपरांत इस प्रक्षेत्र में आधारभूत संरचना में कमी को निम्नवत दर्शाया गया हैः–

प्रकरण	आवश्यकता	वर्त्तमान स्थिति(कार्यरत)	कमी
मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल	40	09	31
जिला अस्पताल	38	36	02
अनुमंडलीय अस्पताल	212	44	168
रेफरल हॉस्पीटल	70	57	13
सामुदायिक हेल्थ सेन्टर	838	0	838
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3,314	533	2,781
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,787	1,350	1,437
उप स्थ्वास्थ्य केन्द्र	20,997	9,729	11,268

इसके अतिरिक्त राज्य में बहुत कम प्राईवेट होस्पीटल है। अधिकांश व्यवस्थित प्राईवेट हेल्थकेयर संस्थान पटना राजधानी शहर में ही सीमित है। सेकेन्डरी तथा टर्सियरी हेल्थकेयर सेवा लेने के लिए रोगी को पटना आना पड़ता है। राज्य की अधिकांश हेल्थकेयर आवश्यकता व्यक्तिगत निजी प्रैक्टिसनर्स द्वारा संचालित नर्सिंग होम द्वारा पूरी की जाती है, जो सामान्य हेल्थ केयर की आवश्यकता को पूरी करता है। इनमें से बहुत कम विशेष सेवाओं को प्रदान करता है। इसलिए राज्य में हेल्थकेयर उद्योग के लिए निजी क्षेत्र के हस्तक्षेप की अत्याधिक आवश्यकता एवं प्रचुर संभावना है।

स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की प्राथमिक्तायें

राज्य सरकार के प्राथमिकताओं को सुदृढ़ करने के मद्देनजर सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार लाने, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित घटक की पहचान की गयी है:–

क्षेत्र	निवेश के अवसर
रोगी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाये	स्पेशलिटी अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल, अति आधुनिक ट्रामा सेन्टर
आपातकालीन चिकित्सा सेवा	मोबाईल मेडिकल युनिट, बल्ड बैंक
मानव संसाधन विकास/कौशल विकास सेवा	मानव संसाधन विकास/कौशल विकास केन्द्र (अस्पताल सेवाओं, जैव चिकित्सा रख–रखाव आदि),
विनिर्माण इकाईयाँ	दवाएं
विनिर्माण इकाईयों के उपकरण और आपूर्ति	चिकित्सा उपकरण, रोगी मॉनिटर, अनेस्थेसिया मशीन, सर्जिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रो–सर्जिकल उपकरण आदि, सेवा उपकरण यथा रक्त संग्रह टयूब, दस्ताने, कैथेटर, मूत्रविज्ञान डिस्पोजेबल उत्पाद, एंडोस्कोप (माउथ पीस)
अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन सेवायें	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन इकाई
शिक्षण संस्थान	ग्रेड–A नर्सिंग कॉलेज

नोट :– उपर्युक्त सूची में इकाईयॉ/उद्यम साकेतिक रूप में दी गयी हैं एवं राज्य सरकार समय–समय पर प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्रवार सूची में उपयुक्त पुनरीक्षण कर सकती है।

3.9. चमड़ा प्रक्षेत्र

चमड़ा प्रक्षेत्र में रोजगार, उत्पादन में वृद्धि और निर्यात की अपार सम्भावनाएँ हैं। भारत इस प्रक्षेत्र के माध्यम से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है। बिहार में चमड़ा प्रक्षेत्र में निवेश की विशाल सम्भावनाएँ है। बहुतायत में कच्चे माल (राज्य में उत्पादित पशुचर्म और खाल के संदर्भ में) के साथ सस्ते एवं कुशल/अर्द्धकुशल श्रमसंसाधन की उपलब्धता और उत्पादित सामाग्रियों के खपत के लिये राज्य एक विशाल घरेलू बाजार के रूप में भी है, यह संभावित निवेशकों को तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धा दोनो को लाभ का अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में उत्पादन के रणनीतिक लाभ के कारक इस प्रकार हैः–

प्रमुख घटक	हमारे रणनीतिक लाभ
कच्चे खाल एवं खाल की उपलब्धता	(क) बिहार में देश के कुल गोजातीय जनसंख्या का लगभग 8 प्रतिशत हैं। 2012 के पशुधन की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल पशुधन की जनसंख्या 329.38 लाख थी। जनगणना के अनुसार गाय की जनसंख्या 122.31 लाख भैस की जनसंख्या 75.67 लाख बकरी की जनसंख्या 121.53 लाख बिहार देश के कुल बकरी की आवादी में तीसरे स्थान पर है, जो लगभग 12 प्रतिशत है। 2017 की जनगणना में बिहार के आकड़ों की स्थिति में काफी सुधार होगा। (ख) केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई (सी0एल0आर0आई0) द्वारा किये गये हाल के सर्वेक्षण के आधार पर बिहार में सालाना 2.64 मिलियन गोजातीय कच्चे खाल तथा 5.09 मिलियन गोजातीय खाल पैदा करता है। राज्य अच्छी गुणवत्ता के बकरी की खाल, गाय खाल और भैस के बछड़े की खाल के लिये जाना जाता है। बकडी का खाल छोटे आकार का होने के कारण बच्चों की अच्छी गुणवत्ता वाली चमड़ो के उत्पाद बनाने हेतु सबसे उत्तम कच्चा माल है। इन उत्पादों को ज्यादातर निर्यात किया जाता है। (ग) एक अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन मुजफ्फरपुर जिले से 3 ट्रकों में भरकर लगभग 7–8 हजार अदद् बकरी की खाल एवं 2–3 हजार अदद् गौ खाल अन्य स्थानों को भेजा जाता है। राज्य में अवस्थित चमड़ों की इकाइयों द्वारा अधिकतर कच्चा माल कोलकाता, कानपुर और चेन्नई भेजा जाता हैं, जिससे बिहार लाभ से वंचित रह जाता है।
श्रम की उपलब्धता	(क) चमड़ा उद्योग एक अत्यधिक श्रम आधारित उद्योग है। इस उद्योग के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत से अधिक लधु कुटीर और कारीगर क्षेत्रों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, इनमें से अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र के हैं। इस असंगठित लघु, कुटीर इकाईयों की मुख्य ताकत समाज के कमजोर वर्गों से सस्ते मानव संसाधन की उपलब्धता की बजह से है। इस प्रक्षेत्र में प्रमुख रूप से महिलाओं के रोजगार की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है। (ख) बिहार की बड़ी आबादी एवं बढ़ती जनसंख्या ही देश

	का सबसे बड़ा श्रम आधार भी है। (ग) वर्तमान में राज्य के पटना, गया, नालंदा/बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर आदि जिलों, जहाँ कारीगरों द्वारा चमड़ों के जूते निर्माण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार उपलब्ध कुशल श्रम को आसानी से चमड़ों की इकाइयों में नियोजित किया जा सकता है।
घरेलू बाजार की उपलब्धता	चमड़ा प्रक्षेत्र अन्तर्गत उत्पादित लगभग सभी वस्तुएं दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती हैं। इस प्रकार इन उत्पादों की खपत की दर बहुत अधिक है। बिहार राज्य की शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मध्यम वर्ग की बड़ी आवादी इस तरह के उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थानीय बाजार/मांग पैदा करते हैं। बड़े बाजार के आस–पास स्थित चमड़े की इकाई तत्काल दोनों पैमाने और लागत में कमी का लाभ ले सकते है।

चमड़ा प्रक्षेत्र की प्राथमिकतायें

चमड़ा उद्योग के अन्तर्गत मुख्य रूप से वैसी इकाईयाँ आती हैं, जो अर्द्धनिर्मित चमड़े और चमड़े की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण एवं उत्पादन में शामिल होती हैं। राज्य सरकार द्वारा कच्चे माल के प्रसंस्करण से तैयार सामान के निर्माण से संबंधित श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिये काफी ध्यान दिया गया है। इकाइयों को थ्रस्ट श्रेणी के तहत निम्न रूप से सुविधाओं का प्रस्ताव है :–

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
चमड़े के उत्पादों के निर्माण	(क) चमड़े के जूते, चमड़े के चप्पल और अन्य चमड़े के जूतों वस्तुओं के निर्माण (ख) चमड़ो के जूते के घटकों का निर्माण (ग) चमड़े के कपड़ों का निर्माण (घ) असबाब के लिए चमड़ा (ड़) चमड़े की वस्तुओं के निर्माण (जैसे लेबल, टैग, बेल्ट, बैंक, पर्स हाथ के दस्ताने और अन्य समान और फैशन आइटम के लिए) (च) ऑटोमोबाइल (कार आदि) और फर्नीचर के असबाब का निर्माण (छ) घोड़े के काठी एवं साज–सज्जा उत्पादन
भंडारण	आधुनिक नियंत्रित/गैर नियंत्रण तापमान वाली भंडारण व्यवस्था एवं कच्ची खाल एवं त्वचा तथा अन्य चमड़ों के सामान हेतु प्रशीतन व्यवस्था, भंडारण के लिए गोदामों की व्यवस्था।
व्यवसाय विकास सेवाएं	शोध एवं अनुसंधान सुविधा, डिजाइन स्टूडियो/प्रोटोटाइप, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा

नोटः– ईकाइयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र प्रतीकात्मक है तथा राज्य सरकार प्राथमिक प्रक्षेत्र की सूची में समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।

इन सभी के अतिरिक्त, बिहार सरकार सी0 एस0 आई0 आर0 /सी0 एल0आर0आई0 के द्वारा विकसित ग्रामीण प्रोद्यौगिकी के प्रोत्साहन के लिए प्रयास करेगी। इन प्रोद्यौगिकी का इस्तेमाल करने वाली ईकाइयों/गतिविधियों को प्रोत्साहन के उद्देश्य से थ्रस्ट एरिया के रूप में समझा जायेगा।

सी0एस0आई0आर0 / सी0एल0आर0आई0 द्वारा विकसित महत्वपूर्ण ग्रामीण प्रौद्योगिकी की सूची निम्नलिखित है:–

- लेदर मोजरी / जूती फूटवियर
- लेदर कोल्हापूरी फूटवियर
- सामान्य फूटवियर (जूते)
- लेदर फूटवियर (सैंडल / चप्पल)
- लेदर पपेट निर्माण
- लेदर सामग्री
- लेदर बोर्ड
- पशु शव (Caracass) का संग्रहण एवं इसका उपयोग।

नोटः– ईकाइयों की उपर्युक्त सूची मात्र प्रतीकात्मक है तथा राज्य सरकार किसी अन्य प्रकार के प्रौद्योगिकी को सूची में शामिल करने के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकती है।

3.10 तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र

वर्त्तमान में बिहार में 13 विश्वविद्यालय के साथ 262 सरकारी महाविद्यालय और 231 स्थानीय निकाय के महाविद्यालय बिहार सरकार से संबद्धता प्राप्त हैं। यद्यपि तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों की संख्या सीमित है और मात्र 10 अभियंत्रण एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं। बिहार में उच्चत्तर शैक्षणिक संस्थानों की कमी के कारण राज्य के हजारों छात्र महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालीय शिक्षा जारी रखने के लिए दूसरे राज्यों यथा दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान पलायन करते हैं। यह राज्य को उच्च शिक्षा के केन्द्र (HUB) के रूप में विकसित करने के अवसर से विमुख करता है। राज्य के 38 जिलों में से 25 जिलें शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2017 तक GER का लक्ष्य 30 प्रतिशत उच्चत्तर शिक्षा के लिए निर्धारित किया है। इस प्रक्षेत्र में यह बहुत बड़े पैमाने पर निवेश (Investment) को आकृष्ट करेगा। वर्त्तमान में बिहार का GER 13 प्रतिशत है। एक गणना (इस्टीमेट) के अनुसार राज्य को उच्चत्तर शिक्षा में नामांकन के राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त करने के लिए राज्य में 373 सामान्य महाविद्यालय (कला, विज्ञान, वाणिज्य), 236 अभियंत्रण महाविद्यालय, 139 चिकित्सा महाविद्यालय, 253 शिक्षण महाविद्यालय, और 163 बहुप्रावैधिकी (पौलिटेक्निक) संस्थानों की आवश्यकता है। अतएव इससे यह स्पष्ट है कि राज्य में नए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की अपार संभावना है। बिहार में गरीबी रेखा के उच्च दर के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश परिवार भी अपने बच्चों को बिहार से बाहर उच्चतर शिक्षा हेतु भेजते हैं और राज्य से बाहर जाने एवं आवासीय व्यवस्था के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ का वहन करना पड़ता है। इसलिए यदि राज्य में अधिक शिक्षण संस्थान स्थापित होते है तो संस्थानों की अधिक आवश्यकता के कारण उनके फलने–फूलने के पर्याप्त अवसर हैं। शिक्षा प्रक्षेत्र राज्य में रोजगार सृजन में भी मदद करेगा क्योंकि अधिकतर उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से शैक्षणिक टाउनशीप का विकास होगा, जिससे उसमें रहने वाले लोगो के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अतएव छोटे व्यापारियों एवं युवा उद्यमियों के लिए अनेक प्रकार के रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा।

शिक्षा प्रक्षेत्र के प्राथमिक प्रक्षेत्र :– तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र में निम्नांकित सुविधाओं / इकाईयों को प्राथमिक प्रक्षेत्र में रखा जायेगा :–

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
तकनीकी शिक्षा	अभियंत्रण महाविद्यालय और पोलिटेनिक संस्थान (ए0आई0सी0टी0ई0 एक्ट के तहत निबंधित)
कौशल विकास	उच्च गुणवत्तायुक्त उपकरण के साथ प्रशिक्षण प्रदान करने वाला तकनीकी कौशल विकास केन्द्र (बी0एस0डी0एम0 या उद्योग विभाग से सूचीबद्ध)

नोटः– ईकाइयों / उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र प्रतीकात्मक है तथा राज्य सरकार प्राथमिक प्रक्षेत्र की सूची में समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।

4. व्यवसाय को सुगम बनाने के उपाय (Ease of Doing Business Reform)

4.1 भूमिका

राज्य सरकार राज्य में निवेश को आकर्षित करने एवं अत्यधिक नौकरियों के अवसर तैयार करने के क्रम में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करने के लिए प्रतिवद्ध है। राज्य में व्यवसाय के सरलीकरण में सुधार के लिए एवं राज्य भर में औद्योगिक ईकाइयों को राज्य में परेशानी मुक्त प्रवेश एवं संचालन के लिए मौजूदा नियमों/प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत एवं सरलीकृत करने पर जोर देने के लिए उपायों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। व्यवसाय के सरलीकरण के अंतर्गत किए गए सुधारों का एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

4.1.1 सूचनाओं की उपलब्धता

(a) उद्योग संवाद पोर्टल (www.udog.bihar.gov.in)– "**निवेशकों के लिए एकल मंच**", जो राज्य के सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रकाशित अधिनियमों/नियमों/नीतियों, परिपत्रों/सूचनाओं/अधिसूचनाओं की जानकारी प्रदान करता है।

(b) निवेशकों को विभिन्न अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्वीकृति हेतु आवेदन में सुविधा के लिए संबंधित विभागों की वेबसाइट पर विस्तृत प्रक्रिया/निर्देशपुस्तिका जिसमें आवेदन समर्पित किए जाने से आवेदन के अनुमोदन तक सभी लागू कदमों का समावेश किया गया है, का प्रकाशन किया गया है।

(c) सभी आवश्यक कागजातों की व्यापक जाँच सूची जिसे आवेदन के भाग के रूप में समर्पित किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है।

4.1.2 औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण

(a) उद्योग संवाद पोर्टल (www.udog.bihar.gov.in)– निवेशकों के शिकायत निवारण के लिए एकल मंच। यह मंच सीधे प्रधान सचिव, उद्योग विभाग से सम्पर्क करने का विकल्प प्रदान करता है।

(b) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तीव्र गति से परियोजना मूल्यांकन एवं स्वीकृति की सुविधा के लिए पैनलबद्ध परियोजना प्रबंधन एजेंसियाँ (PMAs)

(c) बिहार लोक सेवा अधिनियम के अधीन सेवाओं के गैर–अनुपालन पर नियमानुकूल दंडात्मक कार्रवाई।

(d) सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया, अभिलेखों की आवश्यकता एवं विभिन्न मंजूरियों यथा बिजली कनेक्शन, वैट पंजीकरण, व्यवसाय कर पंजीकरण आदि की क्लियरेंस की समयसीमा को कम करना।

4.1.3 श्रम संबंधित सुधार

राज्य सरकार द्वारा श्रम संबंधी सुधार हेतु उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार हैं–

a) फैक्ट्री अधिनियम एवं अन्य श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण एवं लाइसेंस (नवीकरण सहित) के लिए ऑनलाइन आवेदन।

b) आवेदन ट्रैकिंग की सुविधा एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस निर्गत करने हेतु स्पष्ट समयसीमा को अनिवार्य करने के साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य लाइसेस ऑनलाईन प्राप्त करने की सुविधा।

c) विभिन्न प्रकार के श्रम कानूनों के लिए एकल संयुक्त निरीक्षण और एकल वार्षिक रिटर्न की सुविधा

d) पंजीकृत एवं लाइसेंस प्राप्त ईकाइयों के ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा।

e) सुस्पष्ट परिभाषित निरीक्षण प्रक्रिया, निबंधित ईकाइयों का जोखिम आधारित ऑनलाईन निरीक्षण अनुपालन जिसमें निरीक्षकों का आवंटन स्वतः शामिल होगा, इत्यादि।

4.1.4 कर संबंधी सुधार

कर से सम्बन्धित सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार हैं–

a) मूल्यवर्धित कर, पेशेवर टैक्स, इन्ट्री टैक्स, मनोरंजन कर एवं विलासिता कर निबंधन की ऑनलाईन आवेदन की सुविधा

b) आवेदन ट्रैकिंग की सुविधा एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सुस्पष्ट समयसीमा को अनिवार्य किया जाना।

c) पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने की ऑनलाईन सुविधा।

d) निबंधित तथा अस्वीकृत विक्रेता (डीलर) के ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा।

e) 60 दिनों के अंदर विक्रेता (डीलर) के खाते में वैट की वापसी।

f) ऑडिट कार्य हेतु विक्रेताओं (डीलर्स) को कम्प्युट्रीकृत प्रणाली द्वारा चिन्हित करना (सार्वजनिक प्रकाशित जोखिम मानकों पर आधारित)

4.1.5 पर्यावरण संबंधी सुधार

राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित सुधार हेतु उठाए गए कुछ मुख्य सुधारात्मक कदम निम्न प्रकार हैं:–

a) वायु एवं जल अधिनियम के तहत Consent to establish (CTE) स्थापित करने के लिए सहमति एवं Consent to operate (CTO) संचालित करने के लिए सहमति के लिए ऑनलाइन सहमति प्रबंधन प्रणाली; Hazardous Waste Rules के तहत प्राधिकरण

b) आवेदन ट्रैकिंग की सुविधा एवं CTE/ CTO/ प्राधिकरण प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सुस्पष्ट समयसीमा को अनिवार्य करने के साथ प्रमाण पत्रों को ऑनलाईन प्राप्त करने की सुविधा

c) Green Category के उद्योगों को CTO एवं CTE प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट

d) CTO की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया जाना

e) अनुपालन निरीक्षण की आवश्यकता को कम करना– Green: 5 वर्षों में 1 बार, Orange: 3 वर्षों में 1 बार; एवं Red : प्रत्येक वर्ष में 1 बार

4.2. भावी दिशाएं (Way Forward)

निर्धारित समय–सीमा में एवं पारदर्शी तरीके से निवेशकों को आवश्यक वैधानिक अनापत्ति और स्वीकृति उपलब्ध कराने के लिए विभागों के बीच सुगम प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाए जाऐंगे। बिहार में व्यवसाय को सुगम तरीके से चलाने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जाएगे :–

- **एकल खिड़की शोधन प्रणाली** – वैधानिक संरचना में आवश्यक परिवर्त्तन करके एक नई एवं सरल एकल खिड़की शोधन प्रणाली (Single Window Clearance System) लाई जाएगी। ऑन लाईन तंत्र के माध्यम से अनुदान के ऑन लाईन आवेदन, समायोजन एवं प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी।

- **समान आवेदन पत्र (Common Application Form) की व्यवस्था**– अनापत्ति निर्गत करने वाले सभी अभिकरणों के साथ समन्वय बनाने के लिए एक समान आवेदन पत्र (Common Application Form) को लाया जाएगा। समान आवेदन पत्र वेब आधारित होगा और धीरे–धीरे इसे भारत सरकार E-biz Portal (www.ebiz.gov.in) के साथ संबद्ध किया जाएगा ताकि संभावित निवेशक एक ही स्रोत से सभी प्रकार के अनापत्ति प्राप्त कर सकें।
- **प्रोग्राम मैनेजमेंट एजेंसी का प्रावधान**– उद्योग विभाग पी0एम0ए0 को सूचीबद्ध करेगी जो सक्षम समिति को निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति पर निर्णय लेने के साथ–साथ निगरानी और प्रगति से अवगत कराने हेतु तकनीकी सहायता के साथ सचिवीय सेवा उपलब्ध करायेगा। निवेशकों के निवेश प्रस्तावों का सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु पी.एम.ए. एकल सम्पर्क बिन्दु होगा।
- **बियाडा अधिनियम में संशोधन**– बिहार सरकार वर्त्तमान बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 की समीक्षा करेगी तथा औद्योगिक क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास हेतु इसके विधिक ढाँचे को और सुदृढ़ करने हेतु इसमें संशोधन करेगी।
- **बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम, 2011 (RTPS ACT-2011) के अंतर्गत उद्योग से संबंधित सेवाओं का आच्छादन**– अनुरोध का समयबद्ध निष्पादन हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निवेशक से सम्बन्धित अतिरिक्त सेवाओं को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 की परिधि में लाया जाएगा।
- **स्वप्रमाणन की व्यवस्था**– नए एकल खिड़की प्रणाली में स्वप्रमाणन का प्रावधान किया जाएगा, जिसकी ईकाई के उत्पादन प्रारंभ करने के बाद अधिकृत प्राधिकार औचक जाँच कर सकते हैं।
- **कानून एवं प्रावधान का युक्तिकरण**– राज्य में श्रम कानून के अनुपालन को ज्यादा व्यवहारिक बनाया गया है। फिर भी इसके अनुपालन को यथासंभव सरल बनाने के लिए औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ परामर्श कर समीक्षा की जाएगी।
- **अनुश्रवण एवं परिवाद समाधान प्रणाली** – इस नीति में लोक शिकायत से संबंधित विषय को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की परिधि में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग वर्तमान में वेब आधारित प्रणाली (www.udyog.bihar.gov.in) को सुदृढ़ करेगी जहाँ सुझाव और शिकायतों को सीधे औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग को सम्बोधित करते हुए भेजा जा सकता है।

5. औद्योगिक निवेश हेतु आधारभूत संचरना का सुदृढ़ीकरण

5.1–परिचय

विकसित औद्योगिक भूखण्ड, गुणवत्तायुक्त बिजली, दक्ष परिवहन प्रणाली आदि सहित उच्चस्तरीय गुणवत्ता के आधारभूत संरचना की सुविधा प्रदान करना इस नीति के प्रमुख केन्द्र बिन्दु हैं। राज्य में व्यवसाय और उद्योग के विकास के लिए ये आधारभूत सुविधाएँ कुंजी हैं, राज्य में वर्त्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं–

मद	उपलब्ध आधारभूत संरचना का विवरण
औद्योगिक भूमि	(क) भूक्षेत्र के हिसाब से बिहार देश के बड़े राज्यों में से एक है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है। यहाँ भूमि की स्थलाकृति प्रकृति के कारण भारतवर्ष के अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर कुल भूमि का अनुपात कृषि उपयोग हेतु अधिक है। राज्य के संपूर्ण भूक्षेत्र का लगभग 57 प्रतिशत भूक्षेत्र का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। यहाँ की जीविका का मुख्य श्रोत कृषि है और राज्य की आबादी को आवास एवं अन्य उपयोग हेतु भूखण्ड की आवश्यकता को देखते हुए औद्योगिक

	उपयोग हेतु भूमि की व्यवस्था करना या खुली भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करना सरकार के लिए चुनौती है। (ख) बिहार में ईकाइयों को भूमि/औद्योगिक भूखण्ड आवंटित कराने के लिए बियाडा प्रमुख अभिकरण है। बियाडा के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में है। वर्त्तमान समय में 50 औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक भू–सम्पदा/ वृहत औद्योगिक भूखण्ड/ विकास केन्द्र/ मेगा औद्योगिक पार्क बियाडा के अधीन है। (ग) दिसम्बर, 2015 तक बियाडा ने कुल 5851 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है जिसमें से 3324 एकड़ भूमि विभिन्न निवेशकों को आवंटित किए गए हैं। आधारभूत संरचना आदि के लिए भूमि को स्वीकृत किए जाने के बाद 182 एकड़ भूमि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रिक्त है। बियाडा द्वारा विशेषतः विनिर्माण इकाइयों हेतु भू–खण्ड आवंटित किये जाते हैं।
	(घ) बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं यथा–सड़क, बिजली, पानी एवं नाली आदि की व्यवस्था को विकसित कर भूखण्ड का आवंटन करती है। दिसम्बर, 2015 तक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 1544 ईकाइयों कार्यरत अवस्था में है। (ङ) राज्य सरकार के द्वारा राज्य में निम्नांकित पार्क की स्वीकृति दी गई है जहाँ पर विकसित भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध है:– **(क) प्रिस्टाइन मेगा फूड पार्क**– यह पार्क खगड़िया जिला में स्थापित हो रही है। यह 98 एकड़ में फैला हुआ है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह पार्क चालू हो जाने की संभावना है। **(ख) पुनरासर जूट पार्क**– यह देश का एकमात्र जूट पार्क है। यह पूर्णिया जिला में अवस्थित है। यह 44.30 एकड़ में फैला हुआ है। वर्त्तमान में यह पार्क चालू है। **(ग) आई0टी0, आईटीज एवं इलेक्ट्रोनिक निर्माण पार्क**– राज्य सरकार के द्वारा राजगीर में 100 एकड़ और बिहटा (पटना) में 25 एकड़ जमीन आई0टी0, आईटीज एवं इलेक्ट्रोनिक निर्माण पार्क के लिए कर्णांकित किया गया है। **(घ) लेदर क्लस्टर**– 11 एकड़ भूखण्ड में विस्तृत यह मुजफ्फरपुर में अवस्थित हैं। **(ङ) गार्मेन्ट निर्माण पार्क**– 25 एकड़ भूखण्ड में विस्तृत यह बिहटा (पटना) में अवस्थित है। औद्योगिक ईकाई की स्थापना हेतु इन सभी पार्को में औद्योगिक ईकाई स्थापित करने हेतु पूर्ण विकसित आधारभूत संरचना उपलब्ध है।
ऊर्जा	(क) मार्च, 2015 में बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता 3704.63 मेगावाट थी। इसमें से 83.5 प्रतिशत कोयला आधारित थर्मल पावर से, 14.12 प्रतिशत हाइड्रो पावर से और शेष 2.3 प्रतिशत गैर पारंपारिक ऊर्जा श्रोत से है। (ख) स्वामित्व के हिसाब से केन्द्रीय प्रक्षेत्र का हिस्सा 77.9 प्रतिशत, निजी क्षेत्र/IPP का 14.7 प्रतिशत और राज्य प्रक्षेत्र का 7.4 प्रतिशत हिस्सा है। (ग) राज्य सरकार ने लघु अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि हेतु उर्जा क्रय का करार किया है ताकि राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एक समस्या के रूप में नहीं रहे। उर्जा की उपलब्धता में वृद्धि के फलस्वरूप बिहार में प्रतिव्यक्ति उर्जा की खपत बढ़कर वर्ष 2012–13 में 145 KWH से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 203 KWH हो गया है। यह दो वर्षो में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है जो देश के सभी राज्यों से अधिकतम है।

	(घ) राज्य में 13 लघु जलीय विद्युत परियोजनाएँ वर्त्तमान में चालू है जिनकी कुल क्षमता 54.3 मेगावाट है वर्त्तमान में बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉपोरेशन राज्य में और अधिक लघु जलीय परियोजना की संभावना की तलाश में जुटा है। 17 योजनाओं में संभावना तलाशी का कार्य प्रगति पर है। (ङ) बिहार सरकार ने राज्य में उर्जा क्रय हेतु ओपेन एसेस की अनुमति प्रदान की है। ग्रीड से संबद्ध सोलर रूफटॉप, फोटोभोलटाईक प्रणाली से नेट मीटरिंग व्यवस्था की अनुमति दी गयी है और इसके लिए नियम बनाए गए हैं। कैप्टिभ उपयोग, ग्रुप कैप्टिभ उपयोग और तृतीय पक्ष को बिक्री हेतु सोलर उर्जा के संग्रहण के प्रावधान के लिए भी अधिसूचना जारी किया गया है।
सड़क	(क) वर्त्तमान में बिहार में लगभग 2.26 लाख कि0मी0 सड़क की लंबाई है इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4595 कि0मी0 है। राष्ट्रीय उच्चपथ का लगभग 68 प्रतिशत दोहरीकरण और बहुपथ के हैं जबकि 32 प्रतिशत एकल एवं इन्टरमीडिएट लेन सड़क हैं। (ख) बिहार में राजमार्ग की लंबाई लगभग 4253 कि0मी0 है। इसमें से लगभग 65 प्रतिशत डबल लेन, 20 प्रतिशत सिंगल लेन और 15 प्रतिशत इन्टरमीडिएट लेन वाले सड़क है। (ग) राज्य में जिला स्तरीय सड़क का बड़ा जाल है। प्रधान जिला सड़क की लंबाई लगभग 10,634 कि0मी0 है जिसका अधिकांश हिस्सा लगभग (54 प्रतिशत) की चौड़ाई 3.75 मी0 है। प्रधान जिला सड़कों में से 4897 कि0मी0 को इन्टरमीडिएट या 02 लेन की चौड़ाई वाले सड़क में तब्दील कर दिया गया है। वैसे सड़क जिन्हें चौड़ीकरण की जानी है उसमें सतह समतलीकरण और मरम्मति का कार्य चल रहा है। राज्य सरकार प्रधान जिला सड़क के 5175 कि0मी0 को इन्टरमीडिएट लेन के लिए न्यूनतम मापदण्ड 5.50 मी0 की चौड़ाई वाले सड़क में उन्नयन के लिए कृत संकल्पित है। (घ) वर्त्तमान में राज्य में लगभग 2.07 लाख कि0मी0 ग्रामीण सड़क है। सभी ग्रामीण सड़कों को धीरे–धीरे विभिन्न योजनाओं यथा मु0 मं0 ग्राम संपर्क योजना, प्र0 मं0 ग्राम सड़क योजना एवं ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत पक्की सड़क में उन्नयन का कार्य किया जा रहा है।
रेलवे	(क) बिहार में रेलवे का 3,638.73 कि0 मी0 का सघन तंत्र है। राज्य के सभी जिले रेल तंत्र से अच्छी तरह से जुड़े हैं। राज्य के अधिकांश जिले देश के मुख्य शहरों से रेल तंत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं। (ख) राज्य के अंदर दो मुख्य रेल पथ गुजरते हैं:– **I- दिल्ली--गौहाटी रेल पथ वाया छपरा–बरौनी–कटिहार** **II- दिल्ली–कोलकाता रेल पथ वाया आरा, बक्सर, पटना, ग्रैण्ड कॉर्ड पथ वाया गया सहित।** (ग) बिहार में हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है जो बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश राज्यों में फैले 5230 ट्रैक किलोमीटर तथा 3624 रूट किलोमीटर के विस्तृत तंत्र पर नियंत्रण करता है। (घ) अभी हाल फिलहाल में रू0 7000 करोड़ की लागत वाली रेल–सह–सड़क पुल की 3 बड़ी परियोजनाएँ चालू हुई है। ये रेल–सह–सड़क पुल राज्य के अंदर परिवहन सुविधाओं में काफी सहयोगी साबित होंगी।

	(ङ) राज्य में पटना मेट्रो रेल परियोजना का भी क्रियान्वयन गति पर है। राज्य सरकार द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की गई है एवं इस पर सैद्धान्तिक सहमति भी प्रदान कर दी गयी है।
हवाई मार्ग	(क) बिहार के पटना में एक घरेलू हवाई अड्डा और बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनउ, बेंगलुरू, हैदराबाद और राँची के लिए कई घरेलू हवाई उड़ान हैं। (ख) बिहार में हवाई उड़ान की संख्या बढ़ाकर 2014–15 में 11054 हो गई है। विगत दो वर्ष में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 10.5 लाख से 12 लाख हो गई है और माल ढुलाई भी 4849 टन से 5198 टन तक बढ़े हैं।

5.2. नीति के प्रभावी अवधि में आधारभूत संरचना हेतु सहायता उपलब्ध कराने के उपाय–

राज्य में उपलब्ध आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए नीति के प्रभावी अवधि में सरकार के द्वारा निम्नांकित उपाय प्रस्तावित हैं–

5.2.1 प्राथमिकता वाले क्षेत्र की परियोजना के लिए रिक्त औद्योगिक भूखण्ड का आवंटन

नीति के प्रभावी अवधि में बियाडा भविष्य में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्त भूखण्ड (लगभग 182 एकड़) को अर्हता प्राप्त परियोजनाओं को आवंटित करना सुनिश्चित करेगा। इस संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बियाडा की प्रोजेक्ट क्लीयरेंस समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। उक्त रिक्त भू–खण्ड विनिर्माण करने वाली इकाइयों को आवंटित किया जायेगा। सरकार भी औद्योगिक पार्को में उत्पादन करने वाली इकाइयों को भू–खण्ड का आवंटन करने में सहायता प्रदान करेगी।

5.2.2 बियाडा द्वारा नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना और विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार–

(क) बियाडा राज्य के विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने तथा विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ऐसा अनुमान है कि कुल 5000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण और उसका विकास बियाडा द्वारा इस नीति की प्रभावी अवधि में आगामी 3 से 5 साल में किया जाएगा। इसके लिए भूमि बैंक से सरकारी भूमि को बियाडा को सम्बद्ध और हस्तांतरित किया जाएगा। नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त बजट का उपबंध किया जाएगा। इसके बाद बियाडा उक्त भूखण्ड को उत्पादन करने वाली औद्योगिक ईकाइयों के लिए उपयोगी बनाने हेतु विकसित करेगी तथा अंतिम दर अधिसूचित किया जाएगा जिसके आधार पर औद्योगिक ईकाइयों को भू–खण्ड उपलब्ध होगा।

(ख) नीति निर्धारण के तहत बियाडा द्वारा नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन करने वाली इकाइयों को ही भूमि आवंटित की जायेगी। बियाडा के द्वारा भूमि के आवंटन के उद्देश्य और प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है तथा औद्योगिक ईकाइयों के प्रकार एवं प्रदूषण स्तर के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों का कर्णांकन संबंधी अधिसूचना भी निर्गत किया जायेगा। राज्य सरकार समय समय पर बियाडा के नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्र में भू–खण्ड आवंटित किये जाने वाले उद्योगों के प्रकार संबंधी अधिसूचना जारी कर सकेगी।

(ग) नीति निर्धारण के तहत बियाडा के द्वारा स्थापित नए औद्योगिक क्षेत्र में 25 प्रतिशत भूखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ईकाइयों को आवंटित किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ईकाई के लिए आवंटित 25 प्रतिशत भूखण्ड में से 75 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु ईकाइयों के लिए तथा 25 प्रतिशत मध्यम ईकाइयों की स्थापना के लिए होंगे।

5.2.3 रूग्न एवं बंद ईकाइयों से भूमि की वापसी

जहाँ कहीं भी संभव होगा सरकार वर्त्तमान औद्योगिक क्षेत्रों में से रूग्ण एवं बंद ईकाइयों से भूमि को वापस लेने का पूरा प्रयास करेगी। बियाडा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए **"एक मुश्त भुगतान "** की प्रक्रिया लागू कर सकती है।

5.2.4 भूमि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निजी भागीदारी को बढ़ावाः "आओ बिहार" योजना

(क) राज्य में औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना के लिए भूमि हेतु निजी क्रेता एवं विक्रेता की सुविधा के लिए राज्य सरकार की "आओ बिहार" एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई थी।

(ख) इस योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जिनके पास 2 एकड़ या अधिक भूमि का स्वामित्व है और अपनी भूमि को उद्योग या संस्थान की स्थापना के लिए बिक्री करना चाहता है, अपनी भूमि का विवरण "आओ बिहार" पोर्टल पर सूचीबद्ध करा सकता है। इच्छुक क्रेताओं को सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी। भूमि क्रय के इच्छुक उद्यमी पोर्टल पर भूमि को खोज सकते हैं। राज्य सरकार अपने तंत्र के माध्यम से उद्यमी को भूमि के स्वामित्व के सत्यापन में सहायता करेंगी ताकि क्रेता भूमि क्रय कर सकें।

(ग) राज्य सरकार का दायित्व मात्र सहायक के रूप में होगा। भूमि के दर निर्धारण और भूखण्ड के आवंटन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी।

5.2.5 एयर कारगो कॉम्प्लेक्स की स्थापनाः–

निर्यात आधारित औद्योगिक ईकाइयों के उत्पाद एवं नष्ट होने वाली कृषि उत्पाद के राज्य से बाहर भेजने हेतु परिवहन के लिए पटना एवं गया में एयर कारगो कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार इस नीति की अवधि में इसे स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी।

5.2.6 कन्टेनर फ्रेट टर्मिनल

राज्य में दो स्थानों फतुहा एवं बिहटा में कॉन्टेनर फ्रेट टर्मिनल है। बिहार सरकार इन टर्मिनिलों में उपलब्ध सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रयास करेगी।

5.2.7 अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कौरिडोर एवं आई0एम0सी0 को बढ़ावाः–

भारत सरकार के द्वारा इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कौरिडोर के साथ अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कौरिडोर का विकास प्रस्तावित है। प्रस्तावित अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कौरिडोर राज्य के तीन जिले यथा गया, जमुई और बांका होकर गुजरेगी। बिहार सरकार इस क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास करेगी। इसके लिए बिहार सरकार प्रस्तावित क्षेत्र में आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगी और जरूरी इन्टरभेंशन प्लान करेगी। अबतक बिहार सरकार के द्वारा डोभी, गया जिला को आई0एम0सी0 के लिए चिन्हित किया गया है।

5.2.8 गुणवत्तायुक्त विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता में वृद्धि :–

(क) वर्तमान में बिहार में निम्नांकित चार नए विद्युत उत्पादन ईकाइयों का कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर बिहार का केन्द्रीय क्षेत्र पर विद्युत की निर्भरता में कमी आएगी।

I- नवीनगर स्टेज 1 प्लांट– यह परियोजना बिहार के औरंगाबाद जिला में अवस्थित है। इस विद्युत परियोजना के लिए प्रति ईकाई 660 मेगावाट क्षमता वाली 03 ईकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

II- बक्सर, भागलपुर एवं लखीसराय की विद्युत परियोजनाएँ– चौसा (बक्सर) में प्रति ईकाई 660 मेगावाट क्षमता की दो ईकाइयों वाली विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सतलज हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के साथ एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अलावा एन0एच0पी0सी0 और एन0टी0पी0सी0 के साथ भी प्रति ईकाई 660 मेगावाट वाली 02 थर्मल पावर प्लांट के निर्माण के लिए एकरारनामा सम्पन्न किया गया है। पीरपैंती (भागलपुर) की ईकाई का निर्माण एन0एच0पी0सी0 द्वारा जबकि कजरा (लखीसराय) का निर्माण एन0टी0पी0सी0 द्वारा किया जाएगा।

III- अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (बांका) – बांका में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव भेजा गया है जिसके लिए 2500 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है।

IV- मथौली हाइडल पावर प्रोजेक्ट (पश्चिमी चंपारण)– इस विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने पर है। इसकी क्षमता 800 किलोवाट है।

(ख) राज्य सरकार के औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जायेगा। सभी उद्योग जो 132/220 के0बी0ए0 फीडर से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, को बिजली की कटौती से मुक्त किया जाएगा जबतक कि ग्रीड की सुरक्षा के लिए वैसा करना आवश्यक न हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पादन एवं वितरण प्रणाली का समुचित उन्नयन किया जाएगा।

(ग) 33/11 के0भी0ए0 सब स्टेशनों के सभी फीडर जिनके उपर 75 (पचहत्तर) प्रतिशत से अधिक विद्युत भार है, औद्योगिक फिडर के रूप में जाने जायेंगे तथा विद्युत कटौती से विमुक्त होगा। यदि अन्य श्रेणी के उपभोक्ता इन फीडरों से सम्बद्व हैं तो उन्हें इससे अलग करने हेतु कदम उठाये जायेंगे।

(घ) ओपन एसेस पॉलिसी–राज्य सरकार विद्युत अधिनियम 2003 के तहत ओपन एक्सेस पॉलिसी के अंतर्गत विद्युत उपभोग की अनुमति होगी। यह बड़े विद्युत उपभोक्ताओं, जिनका 01 मेगावाट या अधिक विद्युत लोड है, को खुले बाजार से सस्ते दर पर बिजली खरीदने की अनुमति प्रदान करेगी। यह उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर विद्युत खरीदने और बाजार में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने में सहायक होगा।

5.2.9 गैस पाईप लाईन तंत्र की स्थापना–

औद्योगिक विकास हेतु स्वच्छ उर्जा के रूप में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में एक गैस ग्रीड विकसित किया जायेगा। राज्य में औद्योगिक और घरेलू मांग के अनुसार प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

राज्य सरकार गेल एवं अन्य तेल कंपनियां, जो देश के पूर्वी समुद्री तटबंध से प्रस्तावित प्राकृतिक गैस लाइन का तंत्र बिछाने से संबद्व है, के साथ समन्वय स्थापित करेगी। पाइपलाईन के माध्यम से अधिकांश क्षेत्रों, विशेषकर औद्योगिक स्थानों वाले क्षेत्र में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएँगे। राज्य में गैस पाइपलाईन तंत्र की स्थापना हेतु बिहार सरकार एवं आई0ओ0सी0 तथा बिहार सरकार एवं गेल के बीच समझौता ज्ञापन (MOU) भी हस्ताक्षरित हुए हैं। गेल का प्रमुख गैस पाइपलाईन गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर जिला होकर गुजरेगी।

5.2.10 एम0एस0एम0ई0 क्लस्टर को प्रोत्साहन–सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना–

(क) वर्तमान औद्योगिक नीति एम0एस0एम0ई0 क्लस्टरों के विकास के महत्व को पूरा देती है और इसलिए इसके सर्वांगीण प्रोत्साहन के लिए सचेष्ट है। राज्य में अनेक कार्यरत एवं संभावनायुक्त एम0एस0एम0ई0 क्लस्टर विद्यमान है, उदाहरणस्वरूप–

i- ब्रास और ब्रोन्ज मेटल युटेन्सील उद्योग क्लस्टर, परेब, जिला–पटना

ii- सी0एफ0एल0 और लीड बल्ब, पटनासिटी, जिला–पटना।

iii- लेदर फुटवीयर, पटनासिटी, जिला–पटना

iv- मखाना, चार जिलों में (दरभंगा मुख्य केन्द्र)/दरभंगा।

v- चर्म उत्पाद क्लस्टर, जिला–सारण (छपरा)

vi- अगरबती निर्माण क्लस्टर, जिला–गया

vii- लहठी (लाह) क्लस्टर, जिला–मुजफ्फरपुर।

viii- लेदर जूता और चप्पल क्लस्टर, जिला–मुजफ्फरपुर

ix- ब्रास और जर्मन सिल्वर यूटेन्सील क्लस्टर, जिला–पश्चिमी चंपारण

x- चावल मिलिंग क्लस्टर, जिला–पूर्वी चंपारण

xi- चावल मिलिंग क्लस्टर, जिला–लखीसराय

xii- पीतल ब्रास एल्वाय यूटेन्सील क्लस्टर, जिला–वैशाली

xiii- लेदर जूता और चप्पल क्लस्टर, जिला–नालंदा

xiv- रेडिमेड परिधान क्लस्टर, पटनासिटी, जिला–पटना

xv- सिलाव का खाजा क्लस्टर, जिला–नालंदा

xvi- मीठा और नमकीन खाजा क्लस्टर, जिला–मधेपुरा।

xvii- बाँस आधारित सामग्रियों का निर्माण क्लस्टर, जिला–मधेपुरा।

xviii- हस्तकरघा और खादी (पोस्ट प्रोसेसिंग) क्लस्टर।

xix- हस्तशिल्प क्लस्टर।

xx- लघु संयंत्र एवं मशीनरी निर्माण क्लस्टर औरंगाबाद, रक्सौल (पूर्वी चम्पारण)।

(ख) कार्यरत, नये या सम्भावना युक्त क्लस्टरों, इनमें से किसी में भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। खासकर सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में। क्लस्टरं एक्टर तकनीकी दृष्टि से भी कमजोर है तथा इन क्लस्टरों में तकनीकी और कौशल उन्नयन की नितान्त आवश्यकता है।

(ग) बिहार सरकार ने क्लस्टरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास योजना नाम की एक विशेष योजना वर्ष–2013 में प्रारम्भ की है। सरकार वर्तमान नीति काल में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रयास करेगी।

(घ) केन्द्र सरकार के प्रासंगिक योजना के अंतर्गत उद्योग क्लस्टर जैसे– एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय की लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) और डी0आई0पी0पी0 की आई0आई0यू0एस0 योजना जैसी उद्योग क्लस्टरों को भी राज्य सरकार आवश्यक सहायता देगी।

5.2.11 निजी औद्योगिक पार्क को प्रोत्साहन–

(क) वर्त्तमान नीति, राज्य में औद्योगिक भूखण्ड/भूमि और अन्य आधारभूत संरचना संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए निजी सहभागिता की भूमिका को पूर्णरूपेण स्वीकार करती है।

(ख) बिहार सरकार में निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में **"निजी औद्योगिक पार्क की नीति"** लागू किया है। यह नीति वर्त्तमान औद्योगिक नीति के अभिन्न हिस्सा के रूप में होगी और सरकार कुछ संशोधनों/परिवर्त्तनों के साथ वर्त्तमान नीति अवधि में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयासरत

रहेगी। विशिष्ट प्रक्षेत्र के पार्कों की स्थापना को भी सरकार प्रोत्साहित करेगी, विशेष रूप से प्राथमिक प्रक्षेत्रों को (उदाहरणस्वरूप– फूड पार्क, लेदर पार्क, आई0टी0 पार्क, टेक्सटाइल पार्क इत्यादि)

(ग) इस नीति के तहत बिहार सरकार निजी औद्योगिक पार्कों के प्रवर्त्तकों (Promoters) को प्रोत्साहन देगी। निजी औद्योगिक पार्क को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश एवं शर्त्तों का उल्लेख अध्याय 6 (अनुच्छेद 6.7) में किया गया है।

6. प्रोत्साहन हेतु सामान्य पैकेज

बिहार सरकार राज्य में परिचालित उद्यागों में प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने हेतु राजकीय प्रोत्साहन की आवश्यकता को समझती है। तद्नुसार बिहार सरकार ने राजकीय प्रोत्साहन पैकेज सूत्रवद्ध किया है जो राज्य के तुलनात्मक लाभों की जानकारी देता है एवं यह प्रोत्साहन राज्य के आगामी औद्योगिक विकास में त्वरित गति प्रदान करेगा।

6.1 मार्गदर्शक सिद्धान्त/सामान्य प्रावधान

(i) इस नीति के तहत सभी ईकाइयों पर सामान्य प्रावधान लागू होंगे।

(ii) प्रभावी तिथि का मतलब वो तिथि जब से इस नीति के प्रावधानों को लागू किया जायेगा। यह नीति प्रभावी तिथि से पॉच वर्षों के लिये प्रभावी रहेगी।

(iii) राज्य सभी भावी उद्यमियों/प्रवर्तकों को बैंक से सावधि ऋण की सुविधा प्राप्त करने हेतु एवं निवेश पर अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेगा।

(iv) वैसी ईकाइयां जो प्रोत्साहन हेतु आवेदन करतीं हैं वो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ अनुसुचित बैंक या भारतीय रिर्जव बैंक या सेबी से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान, जो इकाई को सावधि ऋण प्रदान करेंगे, के मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगे। बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार एप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर प्रोत्साहन हेतु परियोजना लागत की गणना की जायेगी।

(v) इस नीति के तहत प्रोत्साहन की गणना हेतु स्वीकृत परियोजना लागत का अर्थ समय–समय पर उद्योग विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकार के द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत होगा। स्वीकृत परियोजना लागत ही प्रोत्साहन की राशि के निर्धारण का आधार होगा ।

(vi) इस नीति के तहत प्रोत्साहन की गणना हेतु स्वीकृत परियोजना लागत में जमीन का मुल्य कुल प्रस्तावित निवेश के 10% से अधिक नहीं होगा । अतः स्वीकृत परियोजना लागत में या तो बैंक/वित्तीय संस्थनों के द्वारा परियोजना लागत में उल्लेखित जमीन का वास्तविक लागत या जमीन को छोड़कर कुल प्रस्तावित निवेश का 10% दोनों में से जो कम हो, विचार किया जायेगा । यह सिद्धान्त इस नीति के अन्तर्गत सभी निवेशों के परीक्षण/जॉच पर लागू होगा ।

(vii) इस नीति के तहत सभी प्रोत्साहन राशि इकाई के उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद यथा व्यवसायिक उत्पादन की तिथि के बाद वितरित होंगे।

(viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों हेतु सभी प्रकार के प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा (जमीन के अलावे) सभी श्रेणिओं के उद्योगों (यथा सुक्ष्म लघु, मध्यम एवं वृहत उद्यम) में अतिरिक्त 15% तक बढ़ जायेगी। विस्तृत विवरणी सेक्शन–6.4 में उद्धृत है।

(ix) महिलाओं, विभिन्न दिव्यांग, युद्ध विधवाओं, एसिड अटैक प्रभावित, थर्ड जेन्डर इत्यादि उद्यमियों हेतु प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा सभी उद्योगों के श्रेणियों में (जमीन को छोड़कर) 15% अतिरिक्त तक बढ़ा दी जायेगी। विस्तृत विवरणी सेक्शन–6.5 में उद्धृत है।

(x) कोई भी इकाई व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्षों के बाद या वर्तमान नीति की निर्धारित तिथि के 5 वर्ष समाप्त होने के बाद, जो भी पहले हो, प्रोत्साहन राशि नहीं प्राप्त कर सकेगी।

(xi) प्रोत्साहन या तो लागू आवश्यक परिमाण या उपयुक्त अवधि के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाऐगा। अनुमान्यता अवधि की समाप्ति के उपरान्त अव्यवहृत प्रोत्साहन समाप्त हो जाएगा।

(xii) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य नीति के तहत कोई और प्रोत्साहन किसी इकाई द्वारा प्राप्त करने पर उस इकाई के लिये कुल उपार्जित प्रोत्साहन की गणना के लिये विचारार्थ नहीं होगा ।

(xiii) इकाई के स्वामित्व या प्रबंधन में किसी भी बदलाव की स्थिति में इकाई द्वारा समय–समय पर उद्योग विभाग द्वारा परिभाषित सक्षम पदाधिकारी को सूचित करना होगा। आवश्यकता होने पर बचे हुये प्रोत्साहन राशि हेतु इकाई को (नये स्वामी के नाम पर) एक संशोधित या पात्रता प्रमाण पत्र जारी की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में पात्रता अवधि का विस्तार नहीं होगा तथा यह मूल उत्पादन तिथि से ही लागू होगा।

(xiv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, महिला, दिव्यांग, युद्ध विधवा, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर के उद्यमी द्वारा स्थापित इकाई के शेयरहोल्डिंग के स्वरूप में इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से पॉच वर्षो के अन्दर किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में नये शेयरहोल्डर उसी वर्ग के होने चाहिए। नये शेयरहोल्डर उस वर्ग के नहीं होने के स्थिति में दी गई प्रोत्साहन राशि देय तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज के साथ वसूल की जायेगी।

(xv) अगर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु कोई झूठी घोषणा दी जाती है या वैसे इकाई जो प्रोत्साहन राशि हेतु उपयुक्त नहीं है एवं प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर लेती है तो दी गई प्रोत्साहन की राशि, देय तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्वि व्याज के साथ वसूल की जायेगी। निर्धारित तिथि तक ऐसी राशि के भुगतान नहीं करने की स्थिति में राशि को सूद सहित भूमि राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जायेगी ।

(xvi) बिना किसी पर्याप्त परिचालन कारण के सिर्फ प्रोत्साहन की अधिक राशि प्राप्त करने हेतु इकाई को तोड़ने का प्रयास, विभाजन या विलय तथ्यों की गलत बयानी सक्षम पदाधिकारियों के द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर दण्डनीय कार्रवाई का भागी होगा।

(xvii) पालिसी अवधि के दौरान कोई मौजूदा इकाई या नई इकाई अगर क्षमता का विस्तार, विशाखन अथवा आधुनिकीकरण करती है तो वैसी इकाई को नई इकाई हेतु प्रोत्साहन का जो लाभ है, वह उनके अनुमोदित इन्क्रीमेन्टल परियोजना लागत पर देय होगा। परन्तु इस लाभ को प्राप्त करने के लिए इकाई के विद्यमान क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण होना अनिवार्य है।

(xviii) इस प्रोत्साहन पॉलिसी के अंतर्गत वैसी इकाइयॉ जो प्रोत्साहन के योग्य नहीं है, से सम्बन्धित वंचित सूची परिशिष्ट–2 पर परिलक्षित है। वैसे उद्योग/क्षेत्र GST व्यवस्था के तहत भी किसी भी प्रोत्साहन के लिए योग्य नहीं होंगे ।

(xix) सभी तथ्यों की व्याख्या या विवाद का निर्णय औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा और वह निर्णय अंतिम होगा ।

6.2 **राज्य सरकार उद्यमियों को औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु एक अनुकूल वातावरण एवं आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देने हेतु प्रतिबद्ध है ।**

उद्यमियों को प्रोत्साहन के निम्न पैकेज प्रदान किये जाएंगे :–

प्रोत्साहन के प्रकार	मुख्य विशेषताएँ
प्रतिपूर्त्ति स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण	(क) सरकार द्वारा IDA/BIADA को भूमि आवंटन में कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं होगा। (ख) वैसी सभी नई इकाइयाँ जो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्राधिकार अथवा इसके बाहर स्थापित होती हैं, को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् औद्योगिक भूमि/शेड की लीज/बिक्री/हस्तांतरण पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क की शत्–प्रतिशत प्रतिपूर्ति देय होगी। पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्त्ति केवल पहली बार के लिए स्वीकृत की जाएगी। लीज/पट्टा/बिक्री/हस्तांतरण के बाद के चरणों में यह सुविधा लागू नहीं होगी । यह प्रोत्साहन केवल नई इकाइयों के लिए अनुमान्य होगा। (ग) इकाई द्वारा वांछित भूमि का पूर्ण विवरण DPR में तथा वैसे बैंक या वित्तीय संस्थान, जो इकाई को सावधि ऋण प्रदान करेंगे, के द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन में वर्णित होगा ।
भूमि सम्परिवर्तन शुल्क	(क) कृषि भूमि को औद्योगिक श्रेणी की भूमि में सम्परिवर्तन के लिए लगाए गए भूमि सम्परिवर्तन शुल्क/भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु लगाए गए शुल्क को इकाई के व्यवसायिक उत्पादन में आने के पश्चात् शत–प्रतिशत प्रतिपूर्त्ति अनुमान्य होगा।
ब्याज अनुदान	(क) वैसी सारी उपयुक्त इकाइयाँ, जिसे किसी बैंक के द्वारा या RBI/सेबी के पंजीकृत वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण प्राप्त है, को राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान देय होगा। (ख) ब्याज अनुदान हेतु ब्याज दर 10 प्रतिशत या सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज का दर, जो भी कम हो, होगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 12 प्रतिशत का ब्याज दर अनुदान अनुमान्य होगा। (ग) प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अनुदान की समस्त सीमा स्वीकृत परियोजना लागत का 30% होगा। अप्राथमिकता वाले क्षेत्र में इस अनुदान की सीमा स्वीकृत परियोजना लागत का 15% होगा । इस अनुदान की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रूपये होगी। (घ) इस अनुदान राशि की विमुक्ति किश्तों में की जाएगी। विमुक्ति की किश्त सम्बन्धित बैंक या वित्तीय संस्थान, जिसके द्वारा इकाई को अवधि ऋण प्रदान की गई है, के द्वारा पुनः भुगतान के किश्तों से जुड़ा होगा। इकाई के प्रवर्त्तकों के द्वारा किसी भी प्रकार के अंशदान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। (ड.) अगर प्रवर्त्तक इकाई के लिए कोई सावधि ऋण नहीं लेते हैं तो वे अनुदान की राशि के पात्र नहीं होंगे।

कर से सम्बन्धित अनुदान	(क) सभी नई इकाइयाँ कर सम्बन्धी लाभ की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकती हैं :– (i) अप्राथमिक क्षेत्र :– स्वीकृत परियोजना लागत का 70% (ii) प्राथमिकता क्षेत्रः–स्वीकृत परियोजना लागत का 100% (ख) सभी नई सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को स्वीकृत परियोजना लागत का 30% अतिरिक्त कर में छूट दी जाएगी। (ग) वैसी सभी इकाइयॉ जो सौर और अक्षय उर्जा के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु कार्यरत है, को स्वीकृत परियोजना लागत का अतिरिक्त 30% कर का लाभ दी जाएगी । (घ) सभी नई इकाइयों द्वारा राज्य सरकार के खाते में दी गई VAT/CST/प्रवेश कर का व्यवसायिक उत्पादन में आने की तिथि से पॉच वर्ष तक 80% प्रतिपूर्त्ति के हकदार होंगे (इकाई द्वारा व्यापार से सम्बन्धित करों को छोड़कर)। VAT/CST/प्रवेश कर की प्रतिपूर्त्ति सिर्फ उत्पादन देयता कर के विरूद्ध Input Tax Credit के समायोजन के बाद शुद्ध देय कर पर लागू होगा। (ड.) भारत सरकार पूरे देश में समरूप माल एवं सेवा कर (GST) लागू करने की प्रकिया में है,अगर ऐसा होता है तो इस नीति के तहत VAT/CST में स्वीकृत प्रोत्साहन के लाभ को राज्य सरकार द्वारा GST व्यवस्था के अनुरूप संशोधित किया जाएगा । (च) सभी नई इकाइयॉ व्यवसायिक उत्पादन शुरू करने के पॉच वर्ष तक स्व कार्य हेतु विद्युत उत्पादन या BSPHCL को आपूर्तित उर्जा पर देय विद्युत शुल्क पर शत–प्रतिशत प्रतिपूर्त्ति का पात्र होंगी। विद्युत शुल्क में छूट उन इकाइयों पर लागू नहीं होगा जो उत्पादित बिजली को BSPHCL के अलावे किसी दूसरी इकाई को आपूर्ति करती है।

6.3 केन्द्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ समन्वय

इस प्रोत्साहन की योजना को केन्द्र सरकार की योजना में समन्वय करने की स्वीकृति दी जा सकती है वशर्ते कि एक ही परिसम्पत्ति राज्य एवं केन्द्र सरकार के अनुदान की राशि के अंतर्गत आच्छादित नहीं हो। अतः किसी भी उद्यमी के द्वारा भारत सरकार की योजना के अंतर्गत किसी इकाई की परिसम्पत्तियों पर स्वीकृत राशि के विरूद्ध अनुदान प्राप्त करता है तो राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन की राशि की गणना परिसम्पत्तियों के मूल्य को घटाकर की जाएगी ।

6.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज

6.4.1 अ.जा. एवं अ.ज.जा. के बीच उद्यमिता विकास हेतु प्रयत्न किया जायेगा।

6.4.2 अ.जा. एवं अ.ज.जा. उद्यमी किसी नई इकाई की स्थापना करते हैं तो ब्याज दर के लिये 11.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान या सावधि ऋण का वास्तविक ब्याज दर में से जो भी कम होगा, वह अनुमान्य होगा (सूक्ष्म और लघु उद्यम को छोड़कर)। सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के मामले में अगर अ.जा. एवं अ.ज.जा. उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाती है, ब्याज अनुदान की दर 13.8 प्रतिशत अथवा वास्तविक ब्याज दर जो भी कम होगा, वहीं अनुमान्य होगा।

6.4.3 ब्याज अनुदान की कुल रकम अनुमोदित परियोजना लागत की 34.5 प्रतिशत (प्राथमिक क्षेत्र) तथा 17.25 प्रतिशत (गैर प्राथमिक क्षेत्र) होगी। ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा 11.50 करोड़ रुपया होगी।

6.4.4 नई इकाई अ.जा./अ.ज.जा. के द्वारा स्थापित की जा रही है तो उद्यमी द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा VAT/CST/प्रवेश कर का 92 प्रतिशत प्रतिपूर्त्ति के पात्र होंगे (उद्यमी द्वारा भुगतान किये गये किसी भी व्यापारिक कर को छोड़कर) जिसकी अधिकतम सीमा निम्नप्रकार होगी :–

(I) गैर प्राथमिक क्षेत्र – स्वीकृत परियोजना लागत का 80.5 प्रतिशत

(II) प्राथमिक क्षेत्र – स्वीकृत परियोजना लागत का 115 प्रतिशत

6.4.5 राज्य सरकार द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्सी की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी जो इकाई की स्थापना एवं संचालन में सहायता देगी।

6.4.6 ऐसे उद्यमियों के लिए सामान्य सुविधा के साथ विशेष कलस्टर विकसित किये जायेंगे।

6.5 महिलाओं, दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज

6.5.1 महिलाओं, दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर के बीच उद्यमिता विकास हेतु प्रयत्न किया जाएगा ।

6.5.2 यदि महिलाओं, दिव्यांग, वार–विण्डो, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर के उद्यमी द्वारा नई इकाई की स्थापना की जाती है तो ब्याज अनुदान हेतु ब्याज का दर 11.5 प्रतिशत या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो कम होगा, वह अनुमान्य होगा (सूक्ष्म और लघु उद्यम को छोड़कर)। यदि महिलाओं, दिव्यांग, वार–विण्डो, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर उद्यमी सूक्ष्म एवं लघु इकाई की स्थापना करते हैं तो उन्हें ब्याज दर का 13.8 प्रतिशत अथवा सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज दर में से जो भी कम हो ब्याज अनुदान देय होगा।

6.5.3 छूट की अधिकतम सीमा स्वीकृत परियोजना लागत का 34.5 प्रतिशत (प्राथमिक क्षेत्र के लिए) जो स्वीकृत परियोजना लागत का 17.25 प्रतिशत (गैर प्राथमिक क्षेत्र)। छूट की अधिकतम सीमा 11.50 करोड़ रूपये होगी।

6.5.4 यदि उन उद्यमियों द्वारा नई इकाई स्थापित की जाती है तो उद्यमी द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा किए गए स्वीकृत VAT/CST/प्रवेश कर का 92 प्रतिशत प्रतिपूर्त्ति कर दी जाएगी (व्यापार संबंधी जमा कर को छोड़कर) जिसकी अधिकतम सीमा निम्न प्रकार होगी:–

(I) **गैर प्राथमिक क्षेत्र** – स्वीकृत परियोजना लागत का 80.5 प्रतिशत

(II) **प्राथमिक क्षेत्र** – स्वीकृत परियोजना लागत का 115 प्रतिशत

6.6 एम.एस.एम.ई. कलस्टर डेवलॉपमेन्ट सेन्टर के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के साथ डोभ टेलिंग

मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजनान्तर्गत सी.एफ.सी. की स्थापना के लिए प्रोत्साहनों के डोभ टेलिंग की अनुमति होगी। इसके साथ यह शर्त्त होगी की एक ही एसेट औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति एवं उक्त योजना द्वारा आच्छादित नहीं होंगे। इस प्रकार इस योजना के तहत सी0एफ0सी0 के किसी विशेष परिसम्पति पर लिये गये/लिये जाने वाले अनुदान की स्थिति उस परिसम्पति को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत अनुदान की गणना के लिए स्वीकृत परियोजना लागत में नहीं जोड़ा जायेगा।

6.7 निजी औद्योगिक पार्क हेतु प्रोत्साहनः

निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु प्रोत्साहन दिये जाएंगे । वर्तमान पॉलिसी अवधि के दौरान इस योजना के लिए प्रभावी अंशदान निम्नप्रकार के हैं:–

(क) किसी भी व्यक्ति/पार्टनरशीप फर्म/एल.एल.पी./कम्पनी एक्ट या सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना कर सकती है।

(ख) पार्क के प्रवर्त्तक को भूमि की व्यवस्था करनी होगी। पार्क के लिए भूमि की व्यवस्था में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी ।

(ग) प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होगा (आई.टी.पार्क के लिए 3 एकड़) ।

(घ) पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि प्रवर्त्तक के पूर्ण रूपेण स्वामित्व में होगा और किसी भी तरह के ऋण भार से मुक्त होगा। यह प्रवर्त्तक के द्वारा लीज पर नहीं लिया जाना चाहिए।

(ड.) भूमि का 20 प्रतिशत क्षेत्र सामान्य प्रयोग/आधारभूत संरचना के विकास/हरित क्षेत्र एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए ।

(च) औद्योगिक पार्क में कम से कम 5 स्वतंत्र उत्पादन इकाई होनी चाहिए ।

(छ) प्रवर्त्तक भूमि/प्लॉट्स को स्वतंत्र इकाई के आवंटन हेतु उत्तरदायी होंगे । राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी ।

(ज) प्रवर्त्तक इस औद्योगिक पार्क में आवासीय इकाई निर्मित नहीं करेंगे तथा औद्योगिक पार्क को रीयल एस्टेट परियोजना में परिवर्तित नहीं करेंगे। औद्योगिक पार्क का उपयोग सिर्फ औद्योगिक उपयोग के लिए होगा । सभी निजी औद्योगिक पार्क औद्योगिक भूमि के रूप में अधिसूचित किये जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में निजी औद्योगिक पार्क को औद्योगिक उपयोग के अलावे किसी दूसरे कार्य में नहीं लिया जा सकता है ।

(झ) निजी औद्योगिक पार्क में औद्योगिक भूखण्ड का दर प्रवर्त्तक निर्धारित करेंगे । राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी ।

(ञ) पार्क के आधारभूत संरचना के विकास हेतु प्रवर्त्तक एक निधि की व्यवस्था करेंगे जिसे विकास रिजर्व फण्ड के रूप में जाना जाएगा। प्रवर्तक भूखण्ड के आवंटन में प्राप्त राशि में 05 प्रतिशत एवं प्रति वर्ष शुद्ध लाभ से 10 प्रतिशत इस विकास रिजर्व फण्ड में योगदान देंगे। यह विकास सुरक्षित निधि सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा। इसके संचालन हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में प्रवर्त्तक या प्रवर्त्तक के प्रतिनिधि तथा पार्क में सक्रिय इकाई के प्रतिनिधि होंगे। किसी भी समय डी.आर. एफ. का अधिकतम 33 प्रतिशत आधारभूत संरचना के विकास हेतु उपयोग किया जा सकता है। प्रवर्त्तक पार्क में स्थापित सक्रिय इकाइयों से रख–रखाव हेतु शुल्क ले सकते हैं। उपर्युक्त समिति ही रख–रखाव के माध्यम से एकत्रित किये गए राशि के संचालन के लिये भी उत्तरदायी होगी ।

(ट) निजी औद्योगिक पार्क 10 प्रतिशत अथवा सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर, जो भी कम हो, की दर से स्वीकृत परियोजना के 30 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान के पात्र होंगे जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ होगी । प्राथमिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए विशेष निजी औद्योगिक पार्क, (यथा फूड पार्क, लेदर पार्क, टेक्सटाईल पार्क, आई.टी.पार्क इत्यादि) को स्वीकृत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ होगी तक दी जा सकती है। निजी औद्योगिक पार्क के प्रमोटर पार्क के पूरा होने के उपरान्त ब्याज प्रोत्साहन के हकदार होंगे ।

(ठ) उपरोक्त के अलावा निजी पार्क अन्य प्रोत्साहन जिसका विवरण 6.2 में दिया गया है, के पात्र होंगे। ब्याज अनुदान उपर्युक्त कंडिका–(ट) के अनुसार देय होगा।

(ङ) निजी औद्योगिक पार्क में स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों को योग्यता के अनुरूप औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत प्रोत्साहन देय होगा।

7. खरीद अधिमानता नीति

(क) खरीद अधिमानता नीति उन एम.एस.एम.ई. फर्म/इकाइयों पर लागू होगी जिनकी विनिर्माण कार्य कलाप द्वारा मूल्य संवर्द्धन किया गया हो। व्यापार और पैकेजिंग इकाइयाँ मूल्य अधिमानता के पात्र नहीं होंगी।

(ख) राज्य में एम.एस.एम.ई. इकाई द्वारा कोटिंग मूल्य 15 प्रतिशत के अन्दर अन्य बिडरों के न्यूनतम बिडिंग मूल्य की तुलना में हो, तो मूल्य अधिमानता के पात्र होंगे। ऐसी परिस्थिति में एम0एस0एम0ई0 इकाई को कुल क्रयादेश का 15 प्रतिशत न्यूनतम दर पर ऑडर दिया जायेगा। टाई के मामले में राज्य आधारित सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) यदि ऐसा होता है कि दो या अधिक राज्य आधारित सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग इकाइयाँ न्यूनतम मूल्य (L1) + 15 प्रतिशत सीमा के भीतर है तो ऐसे सभी सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग को समान रूप से न्यूनतम मूल्य (L1) कीमत मूल्य आदेश को स्वीकार करने का अवसर दिया जाएगा और 15 प्रतिशत अधिमानता वाले इकाई को आर्डर सामान रूप से एम.एस.एम.ई. इकाई में वितरित किया जाएगा।

(घ) खरीद अधिमानता नीति कन्ट्रैक्टर्स एवं सब कन्ट्रैक्टर्स के लिए भी मान्य होगा अगर कम से कम कुल उत्पाद का 15 प्रतिशत स्थानीय एम0एस0एम0ई0 से अधिप्राप्त हो अगर उत्पाद राज्य में विनिर्मित हो।

(ड.) कारोबार या फर्म के उम्र तथा टर्न ओवर के प्रतिबंध में बिहार के एम.एस.एम.ई. के लिए 50 प्रतिशत की छूट होगी, बशर्ते वे उत्पादों की तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करते हैं।

(च) उत्पादों की सूची जिसे बिहार के सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग क्षेत्र से प्राप्त किया जाएगा को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। बिहार के एम.एस.एम.ई. इकाइयों के बीच संबंधित उत्पाद के क्रय के लिए सिमित निविदा आमंत्रित किया जायेगा।

8. आने वाली नीति में रखने वाले प्रावधान के संबध में :--

निम्नलिखित प्रावधान विद्यमान पॉलिसी के अंतर्गत आयेगे :–

(क) सभी प्रकार की परियोजनाएं, जो सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित है (उद्योग विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0–128, दिनांक 16.01.2006 द्वारा परिभाषित किया गया है) लेकिन जो नई नीति के प्रभावी तिथि तक वाणिज्यिक उत्पादन में नहीं आयी हैं, उन्हें यह विकल्प दिया जायेगा कि नई नीति या विद्यमान औद्योगिक नीति से आच्छादित होना चाहते हैं। इन इकाईयों को विकल्प के साथ अलग से आवेदन देना होगा अन्यथा ये इकाईयों औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 के तहत अच्छादित होगी। वैसी इकाई जो औद्योगिक नीति, 2011 के अंदर आच्छादित होना चाहती है, उन्हें 31 मार्च, 2017 तक वाणिज्यिक उत्पादन में आना होगा या उनके अनुमोदित डी0पी0आर0 मे जो समय सीमा निर्धारित किया गया है (जिनका समय सीमा 31 मार्च, 2017 के बाद का है) वे अपना अनुदान का दावा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत करेंगे। जो इकाई निर्धारित समय सीमा के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन में नहीं आती है, वे औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के लिए योग्य नहीं मानी जायेगी, उन्हें नई नीति के तहत पुनः आवेदन करना होगा। इकाईयॉ जो नई नीति के तहत अच्छादित होना चाहती है उन्हें राज्य द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन करना होगा।

(ख) विद्यमान इकाइयाँ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/दरों के अनुसार अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य होगी, जबतक इकाई की समय–सीमा एवं/अथवा सीमा समाप्त न हो गई हो। जो इकाई पूर्व के प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त की हैं, वे इस नीति का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं होंगी, जैसा कि ऊपर के प्रावधान में उल्लेख किया गया है।

9. रूग्ण इकाईयों का पुनर्वास

औद्योगिक रूग्णता औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का एक अंग है। इसके फलस्वरूप बेरोजगारी, पूँजी निवेश का अवरूद्ध होना, राजस्व की हानि एवं परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए यह

आवश्यक है कि उपयुक्त कदम उठाए जायें, जिससे कि रूग्ण इकाईयों का पुनर्वास हो सके। सरकार इस संबंध में चिन्तित है तथा रूग्णता को रोकने एवं रूग्ण इकाईयों का पुनर्वास करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जायेंगे। साथ ही प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप रूग्ण हुई इकाईयों के पुनर्वास हेतु भी कदम उठाए जायेंगे।

9.1 औद्योगिक पुनर्वास निधि (कॉरपस निधि) :–

रूग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार, उद्योग संघों एवं अन्य के सहयोग से एक कॉरपस निधि (Corpus Fund) की स्थापना की जायेगी। यह कॉरपस निधि रूग्ण लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों, जिनका पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया गया हो, को संभावित कम–से –कम समय में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

9.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) में रूग्णता –

9.2.1 राज्य स्तरीय कमिटि :–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के पुनर्वास हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति (शीर्षस्थ संस्था) द्वारा सभी प्रकार के निर्णय लिये जायेंगे।

9.2.2 रूग्ण उद्योगों के पुनर्वास हेतु राज्य स्तरीय शीर्षस्थ संस्था को पर्याप्त वैधानिक शक्तियाँ प्रदत्त की जायेगी। यह समिति पुनर्वास पैकेज को तैयार करने हेतु एजेन्सी का चयन करेगी, जिससे की प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके।

9.2.3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/सीडवी के दिशा निर्देशों के अनुसार रूग्ण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों की पहचान की जायेगी तथा पुनर्वास पैकेज तैयार करने हेतु एजेन्सी का चयन करने में सहयोग करेगी, ताकि उपर वर्णित पुनर्वास पैकेज अनुमोदित हो सके।

9.2.4 पुनर्वासित हो रहे रूग्ण इकाईयों को प्रतिवर्ष रूग्णता प्रमाण–पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु पुनर्जीवित पैकेज रूग्ण इकाई के पुनर्जीवन की अवधि विनिर्दिष्ट करेगा।

9.2.5 राज्य स्तरीय समिति द्वारा घोषित रूग्ण उद्योग ही पुनर्वास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन के अनुरूप बैंक एवं वित्तीय संस्थान से मिलने वाली छूट एवं रियायत के पात्र होंगे। सभी प्रकार के छूट एवं रियायत एक निश्चित समय–सीमा के अन्दर दिया जायेगा।

9.2.6 रूग्णता की पहचान कर तीन माह की समय–सीमा के अन्दर पुनर्वास पैकेज तैयार किया जायेगा तथा राज्य स्तरीय संस्थान द्वारा रूग्ण इकाईयों के पुनर्वास प्रक्रिया का अनुश्रवण किया जायेगा।

9.2.7 वैसी रूग्ण इकाईयाँ जिसने पूर्व में किसी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लाभ उठाया हो, पुनः दुसरी बार इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई रूग्ण इकाई दूसरी बार औद्योगिक नीति का लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उसे पूर्व में रूग्ण इकाई के रूप में प्राप्त सुविधाओं की राशि एवं नई नीति के अनुसार प्रस्तावित देय राशि की अन्तर राशि ही देय होगी, परन्तु इस प्रकार की पुनर्वास सुविधा राज्य सरकार के स्तर से गठित संबंधित समिति की अनुशंसा के आलोक में ही देय होगी। इस प्रकार की सुविधा इकाई को अधिकतम दो बार ही मिल सकती है।

9.2.8 पुनर्वास पैकेज में जो तिथि होगी, उसे ही कट–ऑफ–डेट मानते हुए सुविधा का निर्धारण किया जा सकेगा।

9.3 वृहत्त उद्योगों में रूग्णता

9.3.1 प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जो वृहत्त प्रक्षेत्र में पुनर्जीवन की संभावना रखने वाले गैर बी0आई0एफ0आर रूग्ण औद्योगिक इकाईयों एवं लोक उपक्रमों के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु यथा आवश्यक एवं नीतिगत् वक्तव्य में वर्णित बिन्दुओं समेत रियायतों एवं सुविधाओं की अनुशंसा यह समिति करेगी एवं अनुशंसाएँ अंतिम निर्णय हेतु राज्य सरकार के समक्ष मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले से गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष रखी जायेगी।

9.3.2 बी0आई0एफ0आर0 अथवा इस हेतु निर्मित्त सृजित वैधानिक संस्था यथा बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम (बिसिको), बिहार राज्य वित्त निगम (बी0एस0एफ0सी0) तथा बैंक की अन्तर सांस्थिक समिति द्वारा तैयार की गई पुनर्वास योजना के अन्तर्गत चुनी गई रियायतें एवं सुविधाएँ प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विचारार्थ एवं मुख्य सचिव की अध्क्षता में पूर्व से गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के माध्यम से सरकार की अनुशंसा हेतु रखी जायेगी।

9.3.3 एक रूग्ण इकाई का अर्थ ऐसी इकाई से है, जो औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण पर्षद् (बी0आई0एफ0आर0) से निबंधित हो। यद्यपि ऐसी इकाई को सुविधाएँ एवं रियायतें बी0आई0एफ0आर0 द्वारा प्रचारित डी0आर0एस0 (Draft Rehabilitation Scheme) में अंकित कट–ऑफ–डेट से देय होगा।

9.3.4 रूग्ण इकाईयाँ, जिन्होंने पूर्व में औद्योगिक नीति का लाभ उठाया है, को पुनः दूसरी बार भी इस नीति के अन्तर्गत लाभ देय होगा। अगर कोई रूग्ण इकाई दूसरी बार औद्योगिक नीति का लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उसे पूर्व में रूग्ण इकाई के रूप में प्राप्त सुविधओं की राशि एवं नई नीति के अन्तर्गत् प्रस्तावित देय राशि की अन्तर राशि ही देय होगी, परन्तु इस प्रकार की पुनर्वास सुविधा राज्य सरकार के स्तर से गठित संबंधित समिति की अनुशंसा के आलोक में ही देय होगी। इस प्रकार की सुविधा इकाई को अधिकतम दो बार ही मिल सकती है।

10. नीति का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं तत्संबंधी शिकायतें :–

10.1 नीति का क्रियान्वयन –

10.1.1 एक उच्च स्तरीय औद्योगिक सलाहकार पर्षद् का गठन किया जायेगा। इस पर्षद् में माननीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के प्रधान सचिव, संबंधित सरकारी एजेंसियों के प्रमुख, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायों के प्रतिनिधि, पब्लिक एवं प्राईवेट बैंकों के राज्य प्रधान, अग्रणी व्यवसायी/राज्य के उद्यमी/परामर्शी संस्थाएँ आदि शामिल होंगे। पर्षद् की बैठक वर्ष में दो बार आहूत की जायेगी।

10.1.2 नये व्यवसाय की स्थापना से संबंधित अनुमोदन तथा क्लीयरेन्स हेतु एक राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद गठित की जायेगी। निवेश संबंधी आवेदन को पारित करने हेतु संबंधित विभागों के सक्षम पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा। निवेशकों को नीति अन्तर्गत् वांछित प्रोत्साहन दावों के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का सचिवालय एक मात्र कॉन्टेक्ट प्वाईंट के रूप में कार्य करेगा।

10.1.3 नीति के क्रियान्वयन एवं प्रोत्साहन दावा के निस्तारण हेतु उद्योग विभाग मार्ग–दर्शन के साथ नीति के कार्यान्वयन हेतु एक फ्रेमवर्क जारी करेगा। इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहनों सहित सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु संयुक्त आवेदन प्रपत्र (सी.ए.एफ.) का प्रयोग किया जायेगा।

10.1.4 नीति के दिन–प्रतिदिन क्रियान्वयन की देख–रेख राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के सचिवालय द्वारा किया जायेगा। निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग निदेशक, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण एवं निदेशक, हरतकरघा एवं रेशम, बियाडा इत्यादि से सम्पर्क स्थापित कर विभाग द्वारा नीति अन्तर्गत उपलब्धि से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जायेगा।

10.2 नीति का अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण :–

10.2.1 नीति के क्रियान्वयन से संबंधी अनुश्रवण तथा अवरोध के उपयुक्त परिवेदना निवारण की पहचान हेतु एक नीति अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा।

10.2.2 आवश्यकतानुसार वांछित सहायता एवं मध्यवर्त्ती सुधार को ध्यान में रखते हुए नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा नियमित अन्तराल पर की जायेगी।

10.2.3 निवेशकों एवं राज्य सरकार के बीच प्रत्येक स्तर पर पारस्परिक संवाद हेतु नवीनतम तकनीकी से पूर्ण "Centralized Helpdesk Call Centre" का परिचालन किया जायेगा।

10.2.4 नीति के क्रियान्वयन के क्रम में किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी शब्द की व्याख्या/विवाद के सभी मामलों का निर्णय औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा लिया जायेगा। यह निर्णय सभी संबंधितों के लिए अंतिम और वाध्यकारी होगा।

10.3 सामान्य शर्तें :–

इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु निम्नांकित सामान्य शर्तें लागू होंगी :–

प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अगर कोई गलत सूचना दी जाती है अथवा ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है जो योग्य नहीं थे, अथवा इस नीति के किसी शर्त्त के उल्लंघन करने पर प्रोत्साहन राशि के साथ ही 18 प्रतिशत वार्षिक दर से कम्पाउन्ड इन्टेरेस्ट के साथ वसूली की जायेगी। विदित समय में भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार भू–राजस्व की भांति सूद सहित बकाये की वसूली करेगी।

11. अनुसूची–I में दिए गए परिभाषाएँ इस नीति के अंग माने जायेगें।

12. अनुसूची–II में वर्णित बंचित उद्योगों की सूची में शामिल उद्योग किसी प्रकार के प्रोत्साहन/अनुदान के योग्य नहीं होंगे।

13. यह नीति निर्गत की तिथि से पॉच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी।

14. यह नीति अंग्रेजी संस्करण का हिन्दी अनुवाद है। इन दोनों के बीच कोई विवाद होता है तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

1/9/2016

(डा0 एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1822 (H) /पटना, दिनांकः– 01-09-2016

प्रतिलिपि :– राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 1000 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

1/9/2016

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1822 (H) /पटना, दिनांकः– 01-09-2016

प्रतिलिपि :– सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग/प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के अधीन सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलापदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, उद्योग निदेशालय/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विकास निगम, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/9/2016

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट – I

परिभाषाएँ

A. सामान्य परिभाषा –

1. **औद्योगिक इकाई** – औद्योगिक इकाई/प्रतिष्ठान से अभिप्राय ऐसी इकाई से है जो निम्नांकित श्रेणी में आने वाले विनिर्माण/प्रसंस्करण/सेवा उद्योग में संलग्न हो अथवा संलग्न होने वाला हो।

(a) समय–समय पर यथा संशोधित उद्योग (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में सूचीकृत उद्योग।

(b) निम्नांकित बोर्डों/अभिकरणों के दायरे में पड़ने वाले उद्योग (i) लघु उद्योग बोर्ड (ii) क्वायर बोर्ड (iii) रेशम बोर्ड (iv) अखिल भारतीय हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्ड (v) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (vi) औद्योगिक विकास हेतु केन्द्रीय सरकार अथवा बिहार सरकार द्वारा गठित कोई अन्य अभिकरण।

(c) अन्य श्रेणियाँ –

(1) खनन अथवा खनिज विकास।

(2) किसी भी प्रकार की मशीनरी अथवा वाहन अथवा नौका अथवा मोटरवोट अथवा ट्रेलर अथवा ट्रैक्टर के रख–रखाव, मरम्मत, जाँच सर्विसिंग।

(3) औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रांगण, समेकित आधारभूत संरचना विकास की सुविधा, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क, निर्यात प्रोत्साहन जोन अथवा ग्रोथ सेन्टर की स्थापना अथवा विकास।

(4) औद्योगिक विकास की अभिवृद्धि हेतु विशिष्ट अथवा तकनीकी ज्ञान अथवा अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।

(5) उद्योग के लिए इंजीनियरिंग, तकनीकी, वित्तीय, प्रबन्धकीय, विपणन अथवा अन्य सेवाएँ या सुविधाएँ प्रदान करना।

(6) सूचना प्रौद्योगिकी (IT), दूरसंचार अथवा इलेक्ट्रोनिक्स (सेटेलाईट लिंकेज सहित) तथा दृश्य एवं श्रव्य केबल संचार सहित से संबंधित सेवा प्रदान करना।

(7) पर्यटन।

(8) स्वास्थ्य सेवा।

(9) इस नीति के "प्राथमिकता के प्रक्षेत्र" के तहत परिभाषित कोई कार्य।

2. **औद्योगिक इकाई की श्रेणी –**

वित्तीय प्रोत्साहन पर नियंत्रण के उद्देश्य हेतु परियोजना को निम्नरूपेण वर्गीकृत किया जा सकता है –

(a) **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इन्टरप्राईजेज (एम0एस0एम0ई0)** – भारत सरकार के स्तर से घोषित एम0एस0एम0ई0 अधिनियम 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इन्टरप्राईजेज की परिभाषा को ही बिहार सरकार अनुसरण करती है।

(b) **वृहत्त औद्योगिक इकाई** – एम0एस0एम0ई0 अधिनियम 2006 अन्तर्गत मशीन एवं संयंत्र के मद में मध्यम इकाई से संदर्भित निवेश राशि से अधिक परन्तु रु0 100 करोड़ से कम निवेश वाली इकाई वृहत्त उद्योग की श्रेणी में आते हैं।

(c) **मेगा औद्योगिक इकाई** – रु0 100 करोड़ एवं इससे अधिक के पूँजी निवेश की परियोजना मेगा उद्योग की श्रेणी में आते हैं।

3. **नई औद्योगिक इकाई** – नई औद्योगिक इकाई से अभिप्राय ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन कार्य इस नीति के लागू होने की तिथि से पाँच वर्षों के बीच आरंभ हुआ हो।

4. **विद्यमान औद्योगिक इकाई** – विद्यमान औद्योगिक इकाई से अभिप्राय ऐसी इकाई से है जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन कार्य इस नीति के लागू होने से पूर्व प्रारंभ हो गई हो। विद्यमान इकाई के द्वारा उसी परिसर में स्थापित इकाई को ही वित्तीय प्रोत्साहन के संदर्भ में नई इकाई माना जायेगा, जो अलग भवन/ढाँचा में अवस्थित हो, लेखा–जोखा अलग से संधारित करता हो तथा जिसके द्वारा भविष्य निधि सहित किसी राज्य अधिनियम के तहत् निर्धारित कर एवं ड्यूटी अलग से जमा किया जाता हो। विद्यमान इकाई के नये उत्पाद के समावेश की प्रक्रिया को नई इकाई के रूप में मान्यता नहीं होगी।

5. **अनुमोदित परियोजना लागत** – नीति अन्तर्गत अनुदान की गणना के उद्देश्य से अनुमोदित परियोजना लागत का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित परियोजना लागत से है। अनुदान की स्वीकृति के निर्धारण हेतु अनुमोदित परियोजना लागत ही आधार होगा।

6. **विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन** –

(a) **विस्तार परियोजना** – विस्तार प्रारंभ करने वाली परियोजनाओं को निम्नांकित शर्त्तें पूर्ण करना होगा – प्रारंभिक संस्थापित उत्पादन क्षमता में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगा।

(b) **विशाखन परियोजना** – विशाखन प्रारंभ करने वाली परियोजनाओं को निम्नांकित शर्त्तें पूर्ण करना होगा– बिना अवमूल्यन अनुमोदित परियोजना लागत में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि तथा इकाई द्वारा नये उत्पाद दिशा की स्थापना आवश्यक होगा।

(c) **आधुनिकीकरण परियोजना** – आधुनिकीकरण प्रारंभ करने वाली परियोजनाओं को निम्नांकित शर्त्तें पूर्ण करना होगा :– आधुनिकीकरण के फलाफल के रूप में स्थापित उत्पादन क्षमता में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगा।

7. **उत्पादन की तिथि** – किसी औद्योगिक इकाई में उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि का तात्पर्य उस तिथि से होगा, जबसे इकाई द्वारा वास्तव में उस सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया हो, जिसके लिए वह निबंधित की गई हो। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों के संबंध में संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा। वृहत्त उद्योगों के संबंध में निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा। उत्पादन के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

8. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी** – अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमी से तात्पर्य है ऐसे उद्यमी जिसके द्वारा पूर्णतः स्वत्वाधिकारी के रूप में इकाई की स्थापना की गई हो अथवा साझेदारी/प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के मामले में 100 प्रतिशत स्थिर रूप से अंशदान हो।

9. **महिला उद्यमी** – महिला उद्यमी से तात्पर्य राज्य के महिला निवासी से है जो प्रथम पीढ़ी के उद्यमी हो तथा जिन्होंने पूर्ण स्वत्वाधिकारी में इकाई की स्थापना की हो अथवा साझेदारी/प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में जिनका स्थिर रूप से अंशदान 100 प्रतिशत हो।

10. **निःशक्तजन उद्यमी** – निःशक्तजन से तात्पर्य राज्य के ऐसे निवासी से है जो भारत सरकार के स्तर से घोषित Right of equal opportunity, Protection and full participation Act 1995 के अनुरूप विकलांग हो तथा जिसे सक्षम प्राधिकार के स्तर से इस हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र प्राप्त हो। निःशक्तजन उद्यमी से तात्पर्य है ऐसे उद्यमी जिसके द्वारा पूर्णतः सत्वाधिकारी के रूप में इकाई स्थापित की गई हो अथवा साझेदारी, प्राईवेट लि0 कम्पनी के मामले में 100 प्रतिशत स्थिर रूप से अंशदान हो।

11. **टर्म लोन** – टर्म लोन से तात्पर्य है बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के स्तर से वित्तीय सहायता के रूप में स्वीकृत एवं भुगतान किये गये ऋण।

12. **राज्य के निवासी** –राज्य के निवासी से तात्पर्य है, राज्य सरकार के स्तर से समय–समय पर पारिभाषित राज्य के मूल निवासी, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र प्राप्त हो।

13. **बंद औद्योगिक इकाई –**

1. उद्योग विभाग के स्तर से दिये गये अनुदान, छूट एवं रियायत के परिपेक्ष्य में बंद इकाई से तात्पर्य है, वैसी इकाई जो स्थापित एवं उद्योग विभाग के सक्षम प्राधिकार के स्तर से वाणिज्यिक उत्पादन हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र धारी हो तथा स्थापना के पश्चात् 6 महीने की अधिक अवधि से महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को उपयुक्त एवं मान्य सूचना दिये बगैर बंद हो।

2. ''रूग्ण इकाई'' से तात्पर्य है वैसी औद्योगिक इकाई जो Sick Industries companies (Special Provision) Act 1985/National Company Law Tribunal (NCLT) के तहत् औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण पर्षद् (बी0आई0एफ0आर0) के स्तर से अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य शीर्षस्थ समिति अथवा वृहत्त प्रक्षेत्र हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के स्तर से रूग्ण घोषित हो।

14. **स्थायी नियोजन** – स्थायी नियोजन से तात्पर्य है स्थापित निबंधित उद्योगों के स्तर से प्रबंधकीय/कुशल कारीगर/अकुशल कारीगर की श्रेणी में कार्यरत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों /मजदूरों को सीधे तौर पर वेतन/मजदूरी का भुगतान किया जाना। इसका तात्पर्य है ठेकेदार के स्तर से मुहैया किये गये नियोजन सन्निहित नहीं है।

15. **लैंड बैंक** – लैंड बैंक से तात्पर्य है विनिर्माण हेतु औद्योगिक क्षेत्र के बाहर अवस्थित प्राईवेट अथवा सरकारी जमीन का अधिग्रहण।

16. **प्रभावी तिथि** – प्रभावी तिथि से अभिप्राय वह तिथि है जबसे इस नीति के प्रावधान प्रभाव में आये। यह नीति लागू की गई तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।

B. परिभाषा – पर्यटन प्रक्षेत्र

1. **पर्यटक स्थल** – नीति के चैप्टर–3 की धारा–3.2 में उद्धृत स्थल (जिला अथवा प्रखण्ड अथवा ग्राम) जो ''पर्यटन प्रक्षेत्र'' और ''हमारे सामरिक लाभ'' में उल्लेखित है, इस नीति के तहत पर्यटक स्थल कहलायेंगे।

2. **टूरिज्म सर्विस प्रोभाईडर** – नियमानुसार निबंधित कोई साझेदारी फार्म अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा निगम जो ट्रेवल एजेन्टस, ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स, टिकटिंग एजेन्टस, टूरिष्ट गाईड सर्विस प्रोभाईडर्स तथा होम–स्टे–ऑनर सहित यात्रा एवं पर्यटन संबंधी कोई सेवा प्रदान करता हो।

3. **होटल** – होटल परियोजना से अभिप्राय है, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से निर्धारित दिशा–निर्देश के आलोक में सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत कैटेगरी सर्टिफिकेशन प्राप्त वैसे होटल जिसमें एक सितारा से पाँच सितारा श्रेणी की स्थापना के अनुरूप अपेक्षित सुविधाएँ हो।

4. **हेरिटेज होटल** – एक हेरिटेज होटल से तात्पर्य है, एक होटल जो किला, महल, हवेली, गढ़, हंटिंग लॉज में कार्यरत हो अथवा जनवरी 1950 के पूर्व निर्मित धरोहर के रूप में निवास स्थल हो तथा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो। इस प्रकार के होटल को सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होना चाहिए।

5. **मोटल** – मोटल परियोजना अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मोटल हेतु प्रचलित दिशा–निर्देश के अनुरूप सभी सुविधाएँ होनी चाहिए। ऐसे मोटल को सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत आवश्यक कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होना चाहिए।

6. **एम0आई0सी0ई0/कन्वेंशन सेन्टर** – एक कन्वेंशन सेन्टर अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कन्वेंशन सेन्टर हेतु प्रचलित दिशा–निर्देश के अनुरूप सारी सुविधाएँ होनी चाहिए। ऐसे कन्वेंशन सेन्टर को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होनी चाहिए।

7. **रिसोर्ट** – रिसोर्ट परियोजना पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से प्रचलित दिशा–निर्देश के आलोक में तीन सितारा या उससे अधिक श्रेणी के अनुरूप सुविधायुक्त होना चाहिए। ऐसे रिसोर्ट को सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत कैटैगरी सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए।

8. **टेंटेड एकोमोडेशन** – एक टेंटेड एकोमोडेशन परियोजना अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टेंटेड एकोमोडेशन हेतु प्रचलित दिशा–निर्देश के अनुरूप सारी सुविधाएँ होनी चाहिए। टेंटेड एकोमोडेशन हेतु सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत कैटैगरी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होना चाहिए।

9. **टूरिज्म एण्ड हॉस्पीटेलिटि ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट** – संस्थान द्वारा पर्यटन/हॉस्पीटेलिटि पाठ्यक्रम जो नियामक प्राधिकार के स्तर से मान्यता प्राप्त/प्रमाणित हो, मुहैया कराना आवश्यक है।

10. **मेगा टूरिज्म यूनिट** – वैसी परियोजना मेगा टूरिज्म यूनिट के रूप में अनुमानित मानी जायेगी जहाँ 150 व्यक्तियों से अधिक को नया नियोजन सृजन की क्षमता तथा जिसमें भूमि लागत छोड़कर नया पूँजीनिवेश रु0 75 करोड़ या अधिक हो। वैसी इकाई ही इस श्रेणी अन्तर्गत सक्षम मानी जायेगी, जो नीति की प्रभावी अवधि के दौरान स्थापित हो तथा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करती हो। होटल तथा रिसोर्ट, मल्टीप्लेक्सेस तथा मॉल्स मेगा टूरिज्म इकाई की परिभाषा से बाहर माने जायेगें।

11. **एम्यूजमेन्ट पार्क** – एम्यूजमेन्ट पार्क कम से कम 40,000 वर्ग मीटर (लगभग 10 एकड़) क्षेत्र में स्थापित होना चाहिए तथा मनोरंजन सुविधा के रूप में सवारी, खेलकूद इत्यादि की व्यवस्था हो। स्टेंडलोन कॉमर्शियल मल्टीप्लेक्सेस एम्यूजमेन्ट पार्क के रूप में मान्य नहीं होगा।

12. **वाटर पार्क** – वाटर पार्क कम से कम 20,000 वर्गमीटर (लगभग 5 एकड़) क्षेत्र में निर्मित हो जिसमें न्यूनतम तीन वाटर स्लाईड्स हो तथा कम से कम एक साथ 100 स्लाईड्र्स को संभालने की क्षमता हो।

13. **थीम पार्क** – थीम पार्क एकल अथवा थीम श्रृंखला पर आधारित है जो कम से कम 10,000 वर्गमीटर (लगभग 2.5 एकड़) क्षेत्र में अवस्थित हो। इसके अन्तर्गत एम्यूजमेन्ट राईड्स, वाटर स्लाईड्स, रहने की व्यवस्था (कम से कम 10 लिटेवल कमरा), रेस्टोरेन्ट, थियेटर, शॉपिंग क्षेत्र, एक्टीभिटी क्षेत्र एवं थीम क्षेत्र हो। यद्यपि उपरोक्त सभी सुविधा एम्युजमेंट पार्क के लिए होना अनिवार्य नहीं है।

14. **एडभेंचर स्पोर्टस (जल क्रीड़ा सहित)** – एडभेन्चर स्पोर्ट्स के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधा, संयंत्र, प्रशिक्षित कर्मी के साथ–साथ माकूल सुरक्षा सुविधा एवं बचाव की व्यवस्था होना आवश्यक है जो पर्यटक को पर्वत्तारोहण, नौकायन आदि मुनासिब साहसिक कार्य–कलाप के लिए अवसर प्रदान करेगा। इसके पूर्व अलग–अलग सक्षम प्राधिकार से सभी प्रकार की आवश्यक अनुमति के साथ–साथ विस्तृत बीमा आच्छादन प्राप्त करना होगा।

15. **वे–साईड एमेनिटिज** – वे–साईड एमेनिटिज अन्तर्गत राष्ट्रीय/राज्य उच्च पथ तथा अन्य जिला सड़क पर कम्पलेक्स के रूप सभी प्रकार की सुविधाएँ यथा विश्राम क्षेत्र, शौचालय, कैफेटेरिया, दुकान, प्राथमिक उपचार की सुविधाएँ, पार्किंग, यादगार (Souvenir) बुथ इत्यादि का होना आवश्यक होगा। यद्यपि उपरोक्त सभी सुविधाओं का होना अनिवार्य नहीं है।

16. **रोप–वे** – वर्त्तमान अधिनियम/नियम अन्तर्गत स्थापित रोप–वे।

17. **टूरिस्ट लक्जरी कोच** – एक टूरिस्ट लक्जरी कोच का आशय ऐसे वातानुकूलित कोच से है, जिसमें बैठने की क्षमता कम से कम 13 सीट वाली हो तथा सीट को पीछे खिसकाया जा सके एवं जो सामान्य परिवहन की तरह विभिन्न पर्यटन स्थल के अवलोकन हेतु पर्यटकों को गन्तव्य स्थल तक ले जा सके। इसका संचालन वैध ऑल इंडिया परमिट होल्डर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा हो जो इंडियन एसोसिऐशन ऑफ टूरिस्ट ऑपरेटर्स (आई0ए0टी0ओ0) से मान्यता प्राप्त तथा बिहार सरकार द्वारा निबंधित हो।

18. **कार वैन** – कम से कम 4 विस्तर वाली विशेष रूप से निर्मित वाहन जो किसी राज्य पर्यटन विभाग से निबंधित हो एवं जिसका उपयोग सामूहिक तौर पर अवकाश यात्रा में प्रयोग होता हो।

19. **स्वास्थ्य एवं तंदरूस्ती केन्द्र** – स्पा सेवा यथा मालिश, योग, समाधि तथा शारीरिक युवापन के लिए संबंधित चिकित्सा हेतु अल्प समय के लिए आवासीय सुविधा उपलबध कराना ही स्वास्थ्य एवं तंदरूस्ती केन्द्र (हेल्थ एण्ड वेलनेश स्पा) का तात्पर्य है।

20. **क्रुज बोट्स** – कोई नाव/याच्ट जिसके बैठने की क्षमता 4 सीट हो, जो परिवहन विभाग, बिहार सरकार से निबंधित हो तथा भुगतान एवं व्यवहार सुविधा के तहत् किसी झील/नदी में परिचालन की क्षमता रखता हो। लेकिन किसी होटल द्वारा अपने मेहमान के मनोरंजन अथवा सामान/कच्चा माल को ढोने हेतु व्यवहृत नाव/याच्ट इस परिभाषा की परिधि में नहीं है।

21. **साईंस सेंटर, तारा घर, संग्रहालय** – एक भवन जहाँ एतिहासिक, विज्ञान से संबंधित, कलाकृति एवं सांस्कृतिक संबंधित वस्तु रखी एवं प्रदर्शित की जाती हो तथा टिकट के साथ/बिना टिकट आम नागरिकों के लिये खुला हो।

C. स्वास्थ्य सेवा प्रक्षेत्र

1. **विशिष्ट अस्पताल (Speciality Hospitals)** – विशिष्ट अस्पताल के अन्तर्गत वैसे अस्पताल आते हैं जहाँ कम से कम 60 बेड (विस्तर) हों, जिसमें से कम से कम 30 विस्तर विशेष रूप से विशिष्ट सेवा के लिए हो तथा 30 विस्तर सामान्य विस्तर हो। कुछ श्रेणियों के उदाहरण निम्नांकित हैं –

- कॉर्डियोलॉजी, कॉर्डियोभेसकुलर तथा कॉर्डियोथोरेसिक सर्जरी
- डायलाईसिस तथा लिथोट्रिप्सी सहित यूरोलॉजी
- ऑर्थो स्कॉपिक सर्जरी तथा ज्वाइंट रिप्लेसमेन्ट सहित ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी
- इमरजेन्सी केयर फॉर ट्रॉमा
- इंडोस्कोपिक सार्जरी
- न्यूरो सर्जरी
- ऑकोंलॉजी/ऑको सर्जरी
- ऑपथेल्मोलॉजी
- आब्सटेट्रिक्स एण्ड गायनेकोलॉजी
- ई0एन0टी0
- CGHS/MCI/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोई विशेष श्रेणी
- सी0जी0एच0एस0 के प्रावधान के आलोक में मेट्रो शहर में 50 विस्तर तथा नॉन मेट्रो शहर में 30 विस्तर।

2. **अति विशिष्ट अस्पताल (Super Speciality Hospitals)** - अति विशिष्ट अस्पताल से तात्पर्य वैसे अस्पताल से है जहाँ निम्नांकित में से कम से कम तीन अति विशिष्ट की चिकित्सा सुविधा के अलावे कार्डियोलॉजी तथा कार्डियोथोरेसिक सर्जरी तथा ज्वाईंट रिप्लेसमेन्ट सर्जरी सहित स्पेसियलाईज्ड ऑर्थोपेडिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे अस्पताल में कम से कम 210 विस्तर होना चाहिए। जिसमें से कम से कम 30 विस्तर प्रत्येक अति विशिष्ट के लिये तथा 30 विस्तर सामान्य के लिये होना चाहिए। श्रेणियों के उदाहरण है –

1. कॉर्डियोलॉजी
2. गेस्ट्रो इंटेरोलॉजी
3. इंडो क्राईनोलॉजी

4. नियोनेटोलॉजी
5. मेडिकल ऑकोंलॉजी
6. न्यूरोलॉजी
7. नेफ्रोलॉजी
8. पल्मोनरी मेडिसीन
9. न्यूरो रेडियोलॉजी
10. कार्डियो थोरेसिक सर्जरी
11. रियोमेटोलॉजी
12. न्यूरो सर्जरी
13. पैडियाट्रिक सर्जरी
14. ऑकोंलॉजी
15. सर्जिकल गैस्ट्रो इंटेररोलॉजी
16. प्लास्टिक सर्जरी
17. यूरोलॉजी
18. सर्जिकल ऑकोंलॉजी

3. **बहु विशिष्ट अस्पताल (Multi Speciality Hospitals)** – बहु विशिष्ट अस्तपाल का तात्पर्य वैसे अस्पताल है जो निम्नांकित में से एक से अधिक विशिष्टता प्रदान करता हो तथा जहाँ 90 विस्तर हो, जिसमें से कम से कम 30 विस्तर प्रत्येक विशिष्टिता के लिये तथा 30 विस्तर सामान्य के लिये हो। विशिष्ट सेवाओं के उदाहरण हैं –

- कार्डियोलॉजी, कॉर्डियो वैस्कुलर तथा कॉर्डियो थोरेसिक सर्जरी
- डायलाईसिस तथा लिथोट्रिप्सी सहित यूरोलॉजी
- ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी तथा ज्वाईंट रिप्लेसमेन्ट सहित ऑर्थोपेइडिक सर्जरी
- ट्रोमा हेतु इमरजेन्सी केयर
- इंडोस्कोपिक सर्जरी
- न्यूरो सर्जरी
- ऑकोंलॉजी/ऑकों सर्जरी
- ऑपथेल्मोलॉजी
- आब्सटेट्रिक्स तथा गायनेकोलॉजी
- ई0एन0टी0

परिशिष्ट – II

बंचित उद्योगों की सूची

1. निमनलिखित इकाईयाँ इस नीति के अन्तर्गत किसी भी सहायत के पात्र (योग्य) नहीं होंगे:–

(a) मादक दवाएँ बनाने वाली इकाईयाँ।

(b) एल्कोहलिक पेय बनाने वाली इकाईयाँ।

(c) तम्बाकू आधारित उद्योग।

(d) एसबेस्ट्स निर्माण करने वाली इकाईयाँ।

उपरोक्त सूची इस नीति के अन्तर्गत बंचित सूची कही जायेगी।

2. कोई भी इकाई नकारात्मक सूची अन्तर्गत आती है या नहीं, पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार का होगा तथा तद्नुसार उपरोक्त सूची को परिवर्तित किया जा सकता है।

3. व्यापक सिद्धान्त के तौर पर वातावरण पर विपरीत प्रभाव डालने वाले उद्योग को राज्य सरकार पूँजीनिवेश के लिए हतोत्साहित करेगी तथा उपर वर्णित नकारात्मक सूची में डाल दी जायेगी।